(8) जीएसटी व्यवसायी किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति की ओर से किन्हीं या सभी निम्नलिखित क्रिया-कलापों को आरम्भ कर सकता है, यदि उसे निम्नलिखित को करने के लिए उसके द्वारा प्राधिकृत किया गया हो-

(क) जावक और आवक प्रदायों के ब्यौरे प्रस्तुत करना;
(ख) मासिक, त्रैमासिक, वार्षिक या अन्तिम विवरणी प्रस्तुत करना;
(ग) इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते में प्रत्यय के लिए निक्षेप करना;
(घ) प्रतिदाय के लिए दावा फाइल करना; और
(ङ) रजिस्ट्रीकरण के संशोधन या रद्दकरण के लिए आवेदन फाइल करना:

परंतु जहां प्रतिदाय के लिए दावे से सम्बन्धित कोई आवेदन या रजिस्ट्रीकरण के संशोधन या रद्दकरण के लिए कोई आवेदन रजिस्टर्ड व्यक्ति द्वारा प्राधिकृत जीएसटी व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत किया गया है वहां पुष्टि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से मांगी जाएगी और उक्त व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत आवेदन सामान्य पोर्टल पर रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को उपलब्ध कराया जाएगा तथा ऐसे आवेदन पर तब तक अगली कार्रवाई नहीं की जाएगी जब तक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उसके लिए अपनी सहमति नहीं दे देता है।

(9) जीएसटी व्यवसायी के माध्यम से अपनी विवरणी प्रस्तुत करने के लिए विकल्प देने वाला कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति-

(क) किसी जीएसटी व्यवसायी को उसकी विवरणी तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए **प्ररूप जीएसटी पीसीटी-05** में अपनी सहमति देगा;
(ख) जीएसटी व्यवसायी द्वारा तैयार किए गए किसी विवरण के प्रस्तुतिकरण को पुष्ट करने से पहले सुनिश्चित करेगा कि विवरणी में उल्लिखित तथ्य सत्य और सही हैं।

(10) जीएसटी व्यवसायी-

(क) सम्यक तत्परता के साथ विवरण तैयार करेगा; और
(ख) उसके द्वारा तैयार किए गए विवरणों पर अपने डिजिटल हस्ताक्षर करेगा या इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपने प्रत्यायक का प्रयोग करते हुए सत्यापित करेगा।

(11) किसी अन्य राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में अभ्यावेशित जीएसटी व्यवसायी को उप-नियम (8) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में अभ्यावेशित के रूप में समझा जाएगा।

84. हाजिरी के प्रयोजनों के लिए शर्तें-(1) कोई व्यक्ति किसी प्राधिकारी के समक्ष किसी रजिस्ट्रीकृत या अरजिस्ट्रीकृत व्यक्ति की ओर से इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के सम्बन्ध में जीएसटी व्यवसायी के रूप में उपस्थित होने के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि वह नियम 83 के अधीन अभ्यावेशित नहीं कर दिया गया हो।

(2) किसी प्राधिकारी के समक्ष इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही में रजिस्ट्रीकृत या अरजिस्ट्रीकृत व्यक्ति की ओर से उपस्थित होने वाला जीएसटी व्यवसायी ऐसे प्राधिकारी के समक्ष, प्ररूप जीएसटी पीसीटी-05 में ऐसे व्यक्ति द्वारा दिए गए प्राधिकार की प्रति, यदि अपेक्षित हो, प्रस्तुत करेगा।

अध्याय-9
कर का संदाय

85. इलेक्ट्रॉनिक दायित्व रजिस्टरः-(1) धारा 49 की उप-धारा (7) के अधीन विनिर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक दायित्व रजिस्टर सामान्य पोर्टल पर कर, ब्याज, शास्ति, विलम्ब फीस या कोई अन्य रकम का संदाय करने के लिए दायी प्रत्येक व्यक्ति के लिए **प्ररूप जीएसटी पीएमटी-01** में बनाया रखा जाएगा और उसके द्‌वारा संदेय सभी रकमें उक्त रजिस्टर में से विकलित की जाएंगी।

(2) व्यक्ति के विनिर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक दायित्व रजिस्टर में से निम्नलिखित विकलित किया जाएगा-

(क) उक्त व्यक्ति द्‌वारा प्रस्तुत विवरणी के अनुसार कर, ब्याज, विलम्ब फीस के लिए संदेय कोई रकम या संदेय कोई अन्य रकम;

(ख) अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के अनुसरण में समुचित अधिकारी द्‌वारा यथा अवधारित या उक्त व्यक्ति द्‌वारा यथा अभिनिश्चित संदेय कर, ब्याज, शास्ति की रकम या कोई अन्य रकम;

(ग) धारा 42 या धारा 43 या धारा 50 के अधीन बेमेल के परिमाणस्वरूप संदेय कर और ब्याज की रकम;

(घ) ब्याज की कोई ऐसी रकम, जो समय-समय पर प्रोद्‌भूत हो।

(3) धारा 49 के अधीन उपबंधों के रहते हुए, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्‌वारा उसकी विवरणी के अनुसार प्रत्येक दायित्व का संदाय नियम 86 के अनुसार रखे गए इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यय खाता या नियम 87 के अनुसार रखे गए इलेक्ट्रॉनिक नकद खाता में से विकलित करके किया जाएगा और तद्‌नुसार उसे इलेक्ट्रॉनिक दायित्व रजिस्टर में जमा किया जाएगा।

(4) धारा 51 के अधीन कटौती की गई रकम या धारा 52 के अधीन संग्रहीत रकम या प्रतिलोम भार आधार पर संदेय रकम या धारा 10 के अधीन संदेय रकम, इस अधिनियम के अधीन ब्याज, शास्ति, फीस या कोई अन्य रकम नियम 87 के अनुसार रखे गए इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते में से विकलित करके संदत्त की जाएगी और तद्‌नुसार उसे इलेक्ट्रॉनिक दायित्व रजिस्टर में जमा किया जाएगा।

(5) इलेक्ट्रॉनिक दायित्व रजिस्टर में से विकलित कोई रकम अपील प्राधिकरण या अपील अधिकरण या न्यायालय द्‌वारा प्रदान किए गए अनुतोष की सीमा तक घटा दी जाएगी और तद्‌नुसार इलेक्ट्रॉनिक कर दायित्व रजिस्टर में जमा की जाएगी।

(6) अधिरोपित या अधिरोपित किए जाने के लिए दायी शास्ति की रकम, यथास्थिति, भागतः या पूर्णतः घटा दी जाएगी, यदि कराधेय व्यक्ति कारण बताओ सूचना या मांग आदेश में विनिर्दिष्ट कर, ब्याज और शास्ति का संदाय करता है और उसे तद्नुसार इलेक्ट्रॉनिक दायित्व रजिस्टर में जमा किया जाएगा।

(7) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति अपने इलेक्ट्रॉनिक दायित्व खाते में किसी विसंगति के दिखाई पड़ने पर उसे **प्ररूप जीएसटी पीएमटी-04** में सामान्य पोर्टल के माध्यम से मामले में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले अधिकारी को संसूचित करेगा।

86. इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यय खाता:- (1) इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यय खाता सामान्य पोर्टल पर अधिनियम के अधीन इनपुट कर प्रत्यय के लिए पात्र प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के लिए प्ररूप **जीएसटी पीएमटी-04** में बनाया रखा जाएगा और इस अधिनियम के अधीन इनपुट कर प्रत्यय का प्रत्येक दावा उक्त खाते में जमा किया जाएगा।

(2) इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यय खाता धारा 49 के उपबंधों के अनुसार किसी दायित्व के उन्मोचन की सीमा तक विकलित किया जाएगा।

(3) जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने धारा 54 के उपबंधों के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यय खाते से किसी अनुपयोजित रकम के प्रतिदाय का दावा किया है वहां दावे की सीमा तक रकम उक्त रजिस्टर में विकलित की जाएगी।

(4) यदि इस प्रकार फाइल किया गया प्रतिदाय, पूर्णतः या भागतः अस्वीकार कर दिया जाता है, अस्वीकृति की सीमा तक उप-नियम (3) के अधीन विकलित रकम **प्ररूप जीएसटी पीएमटी-03** में किए गए आदेश द्वारा समुचित अधिकारी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यय खाते में पुनः जमा की जाएगी।

(5) इस अध्याय के नियमों में यथा उपबंधित के सिवाय, किन्हीं भी परिस्थितियों में इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यय खाते में प्रत्यक्षतः कोई प्रविष्टि नहीं की जाएगी।

(6) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति,अपने इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यय खाते में कोई विसंगति दिखाई पड़ने पर, उसे प्ररूप जीएसटी पीएमटी-04 में सामान्य पोर्टल के माध्यम से मामले में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले अधिकारी को संसूचित करेगा।

स्पष्टीकरण: इस नियम के प्रयोजन के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रतिदाय नामंजूर समझा जाएगा, यदि अपील अन्तिम रूप से नामंजूर कर दी जाती है या यदि दावाकर्ता समुचित अधिकारी को एक वचन दे देता है कि वह अपील फाइल नहीं करेगा।

87. इलेक्ट्रॉनिक नकद खाता:-(1) धारा 49 की उप-धारा (1) के अधीन इलेक्ट्रॉनिक नकद खाता ऐसे प्रत्येक व्यक्ति के लिए **प्ररूप जीएसटी पीएमटी-05** में रखा जाएगा जो जमा की

गई रकम को जमा करने के लिए और कर, ब्याज, शास्ति, फीस या किसी अन्य रकम के लिए उससे संदाय को विकलित करने के लिए सामान्य पोर्टल पर कर, ब्याज, शास्ति, विलम्ब फीस या किसी अन्य रकम का संदाय करने का दायी है।

(2) कोई व्यक्ति या उसकी ओर से कोई व्यक्ति सामान्य पोर्टल पर **प्ररूप जीएसटी पीएमटी-06** में चालान तैयार करेगा और कर, ब्याज, शास्ति, फीस या किसी अन्य रकम के लिए उसके द्वारा जमा की जाने वाली रकम के ब्यौरे प्रविष्ट करेगा।

(3) उप-नियम (2) के अधीन निक्षेप निम्नलिखित ढंगों में से किसी ढंग के माध्यम से किया जाएगा, अर्थात्:-

(i) प्राधिकृत बैंकों के माध्यम से इंटरनेट बैंकिंग;
(ii) प्राधिकृत बैंक के माध्यम से क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड;
(iii) किसी बैंक से राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण या वास्तविक समय सकल परि-निर्धारण;
(iv) नकद, चेक या डिमांड ड्राफ्ट द्वारा चालान, प्रति कर अवधि दस हजार रुपए तक निक्षेपों के लिए प्राधिकृत बैंकों के माध्यम से काउंटर संदाय पर:

परंतु काउंटर संदाय पर के मामले में प्रति चालान दस हजार रुपये तक निक्षेप के लिए निर्बंधन निम्नलिखित द्वारा किए जाने वाले निक्षेप को लागू नहीं होगा:-

(क) सरकारी विभागों या व्यक्तियों द्वारा किया जाने वाला कोई अन्य निक्षेप, जो इस निमित्त आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया जाए;

(ख) किसी व्यक्ति से, चाहे वह रजिस्ट्रीकृत हो या नहीं, परादेय शोध्यों, जिनके अन्तर्गत जंगम या स्थावर संपत्तियों की कुर्की या विक्रय के माध्यम से की गई वसूली भी है;

(ग) किसी अन्वेषक या प्रवर्तन क्रिया-कलाप के दौरान नकद, चेक या डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से संगृहीत रकमों के लिए या किसी तदर्थ निक्षेप के लिए समुचित अधिकारी या कोई प्राधिकृत अन्य अधिकारी:

परंतु यह और कि सामान्य पोर्टल पर तैयार किए गए **प्ररूप जीएसटी पीएमटी-06** में चालान पन्द्रह दिन की अवधि के लिए वैध होगा।

स्पष्टीकरण: इस उप-नियम के प्रयोजन के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि चालान में उपदर्शित किसी रकम का संदाय करने के लिए, ऐसे संदाय की बाबत संदेय कमीशन, यदि कोई हो, ऐसा संदाय करने वाले व्यक्ति द्वारा वहन किया जाएगा।

(4) किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत नहीं है, किया जाने वाला अपेक्षित संदाय सामान्य पोर्टल के माध्यम से तैयार किए गए अस्थायी पहचान संख्या के आधार पर किया जाएगा।

(5) जहां संदाय किसी बैंक से राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण या वास्तिवक समय सकल निपटान ढंग के माध्यम से किया जाता है वहां अनिवार्य प्ररूप सामान्य पोर्टल पर चालान के साथ तैयार किया जाएगा और उसे उस बैंक को, जहां से संदाय किया जाना है, प्रस्तुत किया जाएगा:

परंतु अनिवार्य प्ररूप चालान किए जाने की तारीख से पंद्रह दिन की अवधि के लिए वैध होगा।

(6) प्राधिकृत बैंकों में बनाए गए सम्बद्ध सरकारी खाते में रकम के सफल प्रत्यय पर, चालान पहचान संख्या संग्राही बैंक द्वारा तैयार की जाएगी और उसे चालान में उपदर्शित किया जाएगा।

(7) संग्राही बैंक से चालान पहचान संख्या के प्राप्त हो जाने पर उक्त रकम ऐसे व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते में जमा कर दी जाएगी जिसकी ओर से निक्षेप किया गया है और सामान्य पोर्टल इस आशय की रसीद उपलब्ध कराएगा।

(8) जहां सम्बद्ध व्यक्ति या उसकी ओर से जमा करने वाले व्यक्ति का बैंक खाते में से विकलन किया जाता है किन्तु कोई चालान पहचान संख्या तैयार नहीं की जाती है या तैयार की जाती है किन्तु सामान्य पोर्टल को संसूचित नहीं की जाती है तो वहां उक्त व्यक्ति सामान्य पोर्टल के माध्यम से **प्ररूप जीएसटी पीएमटी-07** में इलेक्ट्रॉनिक रूप से बैंक या इलेक्ट्रॉनिक गेटवे को अभ्यावेदन कर सकेगा जिसके माध्यम से निक्षेप की पहल की गई थी।

(9) धारा 51 के अधीन कटौती की गई या धारा 52 के अधीन संग्रहीत की गई और ऐसे रजिस्ट्रीकृत कराधेय व्यक्ति से, जिससे, यथास्थिति, उक्त रकम की कटौती की गई थी या संग्रहीत की गई थी,**प्ररूप जीएसटीआर-02** में दावा की गई कोई रकम नियम 87 के उपबंधों के अनुसार उसके इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते में जमा की जाएगी।

(10)जहां किसी व्यक्ति ने इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते से किसी रकम के प्रतिदाय का दावा किया है, वहां उक्त रकम इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते में से विकलित की जाएगी।

(11)यदि इस प्रकार दावा किया गया प्रतिदाय पूर्णतः या भागतः नामंजूर कर दिया जाता है तो उप-नियम (10) के अधीन विकलित रकम नामंजूर के विस्तार तक **प्ररूप जीएसटी पीएमटी-03** में किए गए आदेश द्वारा समुचित अधिकारी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते में जमा की जाएगी।

(12) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, अपने इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते में कोई विसंगति दिखाई पड़ने पर, उसे **प्ररूप जीएसटी पीएमटी-04** में सामान्य पोर्टल के माध्यम से मामले में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले अधिकारी को संसूचित करेगा।

स्पष्टीकरण: प्रतिदाय नामंजूर किया हुआ समझा जाएगा यदि अपील को अन्तिम रूप से नामंजूर कर दिया जाता है।

स्पष्टीकरण: इस नियम के प्रयोजन के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रतिदाय को नामंजूर किया हुआ समझा जाएगा, यदि अपील को अन्तिम रूप से नामंजूर कर दिया जाता है या यदि दावेदार समुचित अधिकारी को वचन देता है कि वह अपील फाइल नहीं करेगा।

88. प्रत्येक संव्यवहार के लिए पहचान संख्या.-

(1) विशिष्ट पहचान संख्या, यथास्थिति, इलेक्ट्रॉनिक नकद या प्रत्यय खाते में प्रत्येक विकलन या प्रत्यय के लिए सामान्य पोर्टल पर तैयार की जाएगी।

(2) किसी दायित्व के उन्मोचन से सम्बन्धित विशिष्ट पहचान संख्या इलेक्ट्रॉनिक दायित्व रजिस्टर में तत्स्थानी प्रविष्टि में उपदर्शित की जाएगी।

(3) विशिष्ट पहचान संख्या उप-नियम (2) के अन्तर्गत आने वाले कारणों से भिन्न कारणों के लिए इलेक्ट्रॉनिक दायित्व रजिस्टर में प्रत्येक प्रत्यय के लिए सामान्य पोर्टल पर तैयार की जाएगी।

अध्याय-10

प्रतिदाय

89. कर, ब्याज, शास्ति, फीस या किसी अन्य रकम के प्रतिदाय के लिए आवेदन.-

(1) धारा 55 के अधीन जारी की गई अधिसूचना के अन्तर्गत आने वाले व्यक्तियों के सिवाय, कोई व्यक्ति, जो किसी कर, ब्याज, शास्ति, फीस या उसके द्वारा संदत्त किसी अन्य रकम के प्रतिदाय से भिन्न भारत के बाहर निर्यातित माल पर संदत्त एकीकृत कर के प्रतिदाय का दावा करता है, या तो प्रत्यक्षतः सामान्य पोर्टल के माध्यम से या आयुक्त द्वारा

अधिसूचित सुविधा केन्द्र के माध्यम से **प्ररूप जीएसटी आरएफडी-01** में इलेक्ट्रॉनिक रूप से आवेदन फाइल कर सकेगा:

परंतु धारा 49 की उप-धारा (6) के उपबंधों के अनुसार इलैक्ट्रॉनिक नकद खाते में अतिशेष से सम्बन्धित प्रतिदाय के लिए कोई दावा, यथास्थिति, **प्ररूप जीएसटीआर**-3 या **प्ररूप जीएसटीआर-4** या **प्ररूप जीएसटीआर-7** में सुसंगत कर अवधि के लिए प्रस्तुत विवरणी के माध्यम से किया जा सकेगा:

परंतु यह और भी कि विशेष आर्थिक जोन यूनिट या विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता को प्रदायों की बाबत, प्रतिदाय के लिए आवेदन-

(क) जोन के विनिर्दिष्ट अधिकारी द्वारा यथा पृष्ठांकित प्राधिकृत संक्रियाओं के लिए विशेष आर्थिक जोन में ऐसे माल को पूर्णतया स्वीकार किए जाने के पश्चात् माल के प्रदायकर्ता द्वारा;

(ख) जोन के विनिर्दिष्ट अधिकारी द्वारा यथा पृष्ठांकित प्राधिकृत संक्रियाओं के लिए सेवाओं की प्राप्ति के बारे में ऐसे साक्ष्य के साथ सेवाओं के प्रदायकर्ता द्वारा फाइल किया जाएगा।

परन्तु यह भी कि निर्यात के रुप में समझे जाने वाले प्रदाय के बाबत, आवेदन निर्यात समझे जाने वाले प्रदाय के प्राप्तकर्ता द्वारा फाइल किया जाएगाः

परन्तु यह भी कि किसी रकम का प्रतिदाय ,रजिस्ट्रेशन के समय धारा 27 के अधीन उसके द्वारा जमा किए गए अग्रिम कर में से आवेदक द्वारा संदेय कर के समायोजन के पश्चात उसके द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले अपेक्षित अंतिम विवरणी में दावा की जाएगी ।

(2)उपनियम(1) के अधीन आवेदनप्ररूप जीएसटी आरएफडी-01 में निम्नलिखित दस्तावेजी साक्ष्योंजो लागू हो, यह स्थापित करने के लिए कि आवेदक को प्रतिदाय देय है, में से किसी के साथ, होगाः-

)क)आदेश की निर्देश संख्या और प्रतिदाय के रुप में दावा की गई धारा 107 की उप धारा (6) और धारा 112 की उप धारा(8) में विर्निद्ष्ट रकम के संदाय की निर्देश संख्या या ऐसी प्रतिदाय जो समुचित अधिकारी या किसी अपीलीय प्राधिकारी या अपीलीय अधिकरण या न्यायालय के आदेश के परिणामिक हो ,द्वारा पारित आदेश की प्रति;

)ख) ऐसा कथन जिसमें संख्या और पोत पत्र की तारीख या निर्यात पत्र और सुसंगत निर्यात बीजक की संख्या तथा तारीखहोगी, उस दशा में जहां माल के निर्यात के संबंध में प्रतिदाय है;

)ग) ऐसा कथन जिसमें बीजक की संख्या और तारीख तथायथा स्थिति सुसंगत बैंक वसूली प्रमाण पत्र या विदेश आवक विप्रेषणादेश प्रमाण पत्र हैं, उस दशा में जहां प्रतिदाय सेवाओं के निर्यात के लिए है;

)घ) ऐसा कथन जिसमें नियम 26 में यथा प्रदत्त बीजक की संख्या और तारीख उप धारा(1) के दूसरे परन्तुक में विनिर्दिष्ट पृष्ठाकंन के संबंध में साक्ष्य के साथ है उस दशा में जहां विशेष आर्थिक जोन ईकाई या किसी विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता को माल के प्रदाय के लिए है;

)ङ) ऐसा कथन जिसमें बीजक की संख्या और तारीख, उप नियम (1) के दूसरे परन्तुक में विनिर्दिष्ट के पृष्ठाकंन के विषय में साक्ष्य तथा विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 के अधीन यथापरिभाषित प्राधिकृत प्रचालकों के लिए प्रदायकर्ता के प्राप्तकर्ता किए गए संदाय का ब्यौरा उसके सबूत के साथ ,उस दशा में जहां प्रतिदायविशेष आर्थिक जोन ईकाई या किसी विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता को सेवाओं के प्रदाय के लिए है;

)च) इस आशय की घोषणा की विशेष आर्थिक जोन ईकाई या विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता ने माल या सेवाओं या दोनो के प्रतिदायकर्ता द्वारा संदत्त करके निवेश कर प्रत्यय को प्राप्त नहीं किया है, उस दशा में प्रतिदाय जहां विशेष आर्थिक जोन ईकाई या किसी विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता को माल या सेवाओं के प्रदाय के लिए है;

)छ) ऐसा कथन जिसमें बीजक की संख्या और तारीख इस निमित अधिसूचित किए जाने वाले ऐसे अन्य साक्ष्य के साथ है, उस दशा में जहां प्रतिदाय निर्यात समझे जाने वाले के बाबत है;

)ज) कोई कथन जिसमें कर अवधि के दौरानप्राप्ततथा जारी बीजकों की संख्या और तारीख है, उस दशा में जहां दावा धारा 54 की उप धारा (3) के अधीन किसीअप्रयुक्त निवेश कर प्रत्यय के संबंध में है और जहां प्रत्यय शून्य दर या पूर्णतः छूट प्राप्त प्रदायों से भिन्न है निर्गम प्रदाय पर कर की दर से उच्चतर होने के कारण निवेश पर कर की दर के लेखा के संबंध में संचित किए जा चुके है;

)झ) अंतिम निर्धारण आदेश की निर्देश संख्या और उक्त आदेश की प्रति उस दशा में जहां प्रतिदाय अनंतिम निर्धारण को अंतिम रुप देने के संबंध में उत्पन्न होता है;

)ञ) अंतर-राज्य प्रदाय के रूप में समझे गए संव्यवहारों के ब्यौरों को दर्शित करता हुआ ऐसा कथन लेकिन जो पश्चातवर्ती रूप से अंतर-राज्य प्रदाय माना गया है ;

(ट) ऐसा कथन जो कर के अधिक संदाय के संबंध में दावे की रकम के ब्यौरे प्रदर्शित करता हो ;

(ठ) इस आशय की घोषणा कि कर का भाग, ब्याज या प्रतिदाय के रूप में दावा की गई कोई अन्य रकम किसी अन्य व्यक्ति को नहींदी गई है, उस दशा में जहां प्रतिदाय की रकम दो लाख रुपए से अधिक नहीं है ;

परंतु यह कि घोषणा धारा 54 की उपधारा (8) के खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) या (घ) या खंड (च) के अधीन आने वाले मामलों के संबंध में की जानी अपेक्षित नहीं है ;

(ड)**प्रारुप जीएसटी आरएफडी-01** के उपाबंध -2 में प्रमाण-पत्र जो किसी चार्टर्ड एकाउंटेंट या लागत एकाउंटेंट द्वारा इस आशय में जारी किया जाएगा कि कर का भाग, ब्याज या प्रतिदाय के रूप में दावा की गई अन्य कोई रकम किसी अन्य व्यक्ति को नहीं दी गई है उस दशा में जहां दावा किए गए प्रतिदाय की रकम दो लाख रुपए से अधिक हो;

परंतु यह कि घोषणा धारा 54 की उपधारा (8) के खंड (क) या खंड (ख)या खंड (ग) या (घ) या खंड (च) के अधीन आने वाले मामलों के संबंध में की जानी अपेक्षित नहीं है ;

स्पष्टीकरण –इस नियम के प्रयोजनों के लिए –

(i) धारा 54 की उपधारा (8) के खंड (ग) में निर्दिष्ट प्रतिदाय की दशा में पद "बीजक" से धारा 31 के उपबंधों को पुष्ट करने वाला बीजक अभिप्रेत है ;

(ii) जहां कर की रकम प्राप्तकर्ता से वसूल की जा चुकी है तो यह समझा जाएगा कि कर का भार वास्तविक उपभोक्ता पर चला गया है ।

(3) जहां आवेदन निवेश कर प्रत्यय के प्रतिदाय से संबंधित है वहां इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यय बही ऐसे दावा किए गए प्रतिदाय की रकम के बराबर आवेदक द्वारा विकलित किया जाएगा।

(4) माल या सेवा या दोनों के शून्य-दर प्रदाय की दशा में एकीकृतमाल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 16 की उपधारा (3) के उपबंधों के

अनुसरण में बचन-पत्र के बंध या पत्र के अधीन कर के संदाय के बिना निवेश कर प्रत्यय का प्रतिदाय निम्नलिखित फार्मूले के अनुसार प्रदान किया जाएगा ।

प्रतिदाय रकम = माल के शून्य दर प्रदाय का व्यापारआवर्त+ सेवा के शून्य दर प्रदाय का व्यापारआवर्तx सकल आई टी सी÷ समायोजित कुल व्यापारआवर्त

जहां :

(अ) "प्रतिदाय रकम" से अधिकतम प्रतिदाय जो अनुज्ञेय है, अभिप्रेत है ;

(आ) "शुद्ध आईटीसी" से सुसंगत अवधि के दौरान निवेश और आवक सेवाओं पर लिया गया निवेश कर प्रत्यय अभिप्रेत है ;

(इ) "माल के शून्य दर प्रदाय का टर्नओवर" से बचन-पत्र के बंध या पत्र के अधीन कर के संदाय बिना सुसंगत अवधि के दौरान किए गए माल के शून्य दर प्रदाय का मूल्य अभिप्रेत है ;

(ई) सेवा के शून्य दर प्रदाय का व्यापारआवर्त" से बचन-पत्र के बंध या पत्र के अधीन कर के संदाय बिना सुसंगत अवधि के दौरान किए गए सेवा के शून्य दर प्रदाय का मूल्य अभिप्रेत है जो निम्नलिखित रीति में संगणित किया जाएगा अर्थात्,

"सेवा के शून्य दर प्रदाय,सेवा के शून्य दर प्रदाय के लिए सुसंगत अवधि के दौरान प्राप्त किए गए संदायों का योग है और सेवा के शून्य दर प्रदाय जहां प्रदाय पूरा किया जा चुका है जिसके लिए संदाय अग्रिम में किसी अवधि के पूर्व सेवा के शून्य दर प्रदाय के लिए प्राप्त अग्रिमों द्वारा सुसंगत अवधि के लिए कटौती की जा चुकी है जिसके लिए सेवा का प्रदाय उस सुसंगत अवधि के दौरान पूरा नहीं किया गया है;

(उ) "समायोजित कुल व्यापारआवर्त" से धारा 2 की उपधारा (112) के अधीन यथा परिभाषित राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में सुसंगत अवधि के दौरान शून्य दर प्रदायों से भिन्न छूट प्रदायों के मूल्य को छोड़कर व्यापारआवर्त अभिप्रेत है ;

(ऊ) "सुसंगत अवधि" से वह अवधि अभिप्रेत है जिसके लिए दावा किया गया है ।

(5)विपरीत शुल्क ढांचा के संबंध में निवेश कर प्रत्यय का प्रतिदाय निम्नलिखित फार्मूलों के अनुसार प्रदान किया जाएगा

अधिकतम प्रदिदाय रकम :[माल की विपरीत दर प्रदाय का व्यापारआवर्तx शुद्धआईटीसीसमायोजित कुल व्यापारआवर्त] –माल के ऐसे विपरीत प्रदाय पर कराधेय कर ।

स्पष्टीकरण : इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए पद "शुद्द आईटीसी और समायोजित कुल व्यापारआवर्त " से वह अर्थ समनुदेशित है जो उपनियम (4) में उनके लिए हैं।

90. अभिस्वीकृति--

(1) जहां आवेदन ईलैक्ट्रानिक बही से प्रतिदाय के लिए दावे से संबंधित है वहां एक **प्ररुपजीएसटी आरएफडी-02** में पावती समान पोर्टल ईलैक्ट्रानिक रूप से आवेदक को उपलब्ध कराई जाएगी जिसमें प्रदिदाय के लिए दावे को फाईल करने की तारीखस्पष्ट रुप से इंगित की जाएगी और धारा 54 की उपधारा (7) में विनिर्दिष्ट समय अवधि फाइल करने की ऐसी तारीख से गिनी जाएगी ।

(2) ऐसा प्रतिदाय के लिए आवेदन जो इलैक्ट्रानिक नकद बही से प्रतिदाय के लिए दावे से भिन्न है समुचित अधिकारो के अग्रेषित किया जाएगा जो उक्त आवेदन के फाइल करने की 15 दिन की अवधि में इसकी पूर्णता के लिए आवेदन की संवीक्षा करेगा और जहां नियम 89 में उपनियम (2)(3)और (4) की शर्तों के अनुसार पूर्ण पाया जाता है तो **प्ररुपजीएसटी आरएफडी-02** में एक पावती आवेदक को समान पोर्टल इलैक्ट्रोनिक के माध्यम से आवेदक को उपलब्ध करा दी जाएगी जिसमें प्रतिदाय का दावा फाइल करने की तारीख स्पष्ट रुप से इंगित की जाएगी और धारा 54 की उपधारा (7) में विनिर्दिष्ट अवधि का समय से फाइल करने की ऐसी तारीख से गिना जाएगा ।

(3) जहां कोई कमियां संज्ञान में आई है वहां समुचित अधिकारी आवेदक को **प्ररुपजीएसटी आरएफडी-03** में समान पोर्टल से इलैक्ट्रानिक माध्यम से कमियों को संसूचित करेगा, ऐसी कमियों को सुधारने के बाद नए प्रतिदाय आवेदन को फाइल करने की उससे अपेक्षा करेगा ।

(4) जहां कमियां **प्ररुपजीएसटी आरएफडी-03** में केन्द्रीय जीएसटी नियम के अधीन संसूचित की जा चुकी है वहां उनको उपधारा (3) के अधीन संसूचित कमियों सहित इस नियम के अधीन भी संसूचित किया समझा जाएगा ।

91. अंनतिम प्रतिदाय को प्रदान करना--

(1) धारा 54 की उपधारा (6) के उपबंधों के अनुसार अनंतिम प्रतिदाय इस दशा के अध्यधीन प्रदान किया जाएगा कि प्रतिदाय का दावा करने वाला व्यक्ति कर अवधि जिससे संबंधित प्रतिदाय का दावा किया है कर तुरंत पूर्ववर्ती पांच वर्ष की किसी अवधि के दौरान इस अधिनियम या ऐसे किसी विद्‌यमान विधि के अधीन किसी अपराध के लिए अभियोजित नहीं किया गया है और जहां कर का अपवंचन दो सौ पचास लाख रुपए से अधिक है ।

(2) समुचित अधिभारी दावो की संविक्षा के पश्चात और उसके समर्थन में प्रस्तुत साक्ष्यों तथा प्रथमदृष्या यह समाधान हो जाने पर कि उपनियम (1) के अधीन प्रतिदाय के रुप में दावा की गई रकम और धारा 54 की उपधारा (6) के उपबंधों के अनुसरण में आवेदक की शोध्य है, **प्ररुपजीएसटी आरएफडी-04** में नियम 90 के उपनियम (1) और (2) के अधीन पावती की तारीख से सात दिन से अनधिक अवधि में अनंतिम आधार पर उक्त आवेदक को शोध्य प्रतिदाय की रकम की मंजूरी का आदेश करेगा ।

(3) समुचित अधिकार उपनियम (2) के अधीन मंजूर रकम के लिए **प्ररुपजीएसटी आरएफडी-05** में संदाय सूचना जारी करेगा और उसको उसके रजिस्ट्रेशन विशिष्टियों के निर्दिष्ट तथा प्रतिदाय के लिए आवेदन में यथा विनिर्दिष्ट आवेदक के किसी बैंक खाते में इलैक्ट्रानिक रुप से प्रत्यय करेगा।

92. प्रतिदाय मंजूरी आदेश --

(1) जहां आवेदन की परीक्षा करने पर समुचित अधिकारी का समाधान हो जाता है कि धारा 54 की उपधारा (5) के अधीन प्रतिदाय शोध्य है और आवेदक को संदेय है ; तो वह **प्ररुपजीएसटी आरएफडी-06** में प्रतिदाय की रकम जिसका वह हकदार है की मंजूरी का आदेश करेगा; यदि कोई, धारा 54 की उपधारा (6) के अधीन अंनतिम आधार पर उसको प्रतिदाय किया जा चुका है तो अधिनियम या अन्य किसी विद्‌यमान विधि के अधीन किसी बकाया मांग के विरुद्‌ध रकम समायोजित की जाएगी और शेष रकम प्रतिदाय योग्य होगी :

परंतु यहकि उस दशा में जहां प्रतिदाय की रकम इस अधिनियम या अन्य किसी विद्‌यमान विधि के अधीन किसी बकाया मांग के विरुद्‌ध पूर्णत: समायोजित हो गई है तो समायोजन के ब्यौरे का आदेश **प्ररुपजीएसटी आरएफडी-07** के भाग क में जारी किया जाएगा ।

(3) जहां समुचित अधिकारी लिखित रुप में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों के लिए समाधान हो गया है, कि प्रतिदाय के रुप में दावा की गई रकम का पूरा या कोई

हिस्सा स्वीकार्य नहीं है या आवेदक को संदेय नहीं हैं, वह **प्ररुपजीएसटी आरएफडी-08** में एक नोटिस आवेदक को जारी करेगा, उस नोटिस की प्राप्ति के पद्रंह दिनों की अवधि के भीतर **प्ररुपजीएसटी आरएफडी-09** में उत्तर देने की अपेक्षा है और उत्तर पर विचार करने के बाद, **प्ररुप एमजीएसटी आरएफडी-06** में एक आदेश करने के लिए, राशि की मंजूरी पूरे या भाग में वापसी या उक्त वापसी के दावे को खारिज कर दिया है और उक्त आदेश इलैक्ट्रानिक रुप में आवेदक को उपलब्ध कराया जाएगा और उप-नियम (1) के उपबंधों को यथा आवश्यक परिवर्तन के सहित प्रतिदाय की सीमा तक लागू कर आवेदन करने की अनुमति दी जाएगी

परंतु यह यह कि आवेदक को सुनवाई का अवसर दिए बिना प्रतिदाय के लिए कोई आवेदन खारिज नहीं किया जाएगा ।

(4) जहां समुचित अधिकारी का समाधान हो जाता है कि उप-नियम (1) या उप-नियम (2) के अधीन प्रतिदाय धारा 54 की उप-धारा (8) के अधीन देय है, जो वह **प्ररुपजीएसटी आरएफडी-06** में आदेश करेगा और **प्ररुपजीएसटी आरएफडी-95** में संदाय सूचना जारी करेगा तथा उसे उसके रजिस्ट्रीकृत विशिष्टियों विवरण में निर्दिष्ट और प्रतिदाय के लिए यथाविनिर्दिष्ट किसी भी बैंक खाते में इलैक्ट्रानिक रुप से प्रत्यय किया जाएगा ।

(5)जहां समुचित अधिकारी का समाधान हो जाता है कि उप-नियम (1) या उप-नियम (2) के अधीन प्रतिदाय की रकम धारा 54 के उप-धारा (8) के अधीन आवेदक को देय नहीं है तो वह **प्ररुपजीएसटी आरएफडी-06** में आदेश करेगा और **प्ररुपजीएसटी आरएफडी-05** में प्रतिदाय की रकम उपभोक्ता कल्याण कोष में प्रत्यय की जाने की सूचना जारी करेगा।

93. अस्वीकृत प्रतिदाय दावे की रकम का प्रत्यय –

(1) जहां नियम 90 की उप-नियम (3) के अधीन किसी भी कमी को सूचित किया गया है, वहां नियम 89 के उप-नियम (3) के अधीन विकलित की गई रकम को इलैक्ट्रानिक प्रत्यय बही में पुनः प्रत्यय कर दिया जाएगा ।

(2) जहां किसी प्रतिदाय के रुप में दावा की गई कोई रकम नियम 92 के अधीन या तो पूरी तरह या आंशिक रुप से खारिज कर दी गई है, तो खारिज की सीमा तक विकलित की गई रकम, **प्ररुप जीएसटी पीएमटी-03** में खारिज किए गए आदेश द्वारा इलैक्ट्रानिक प्रत्यय बही में पुनः प्रत्यय कर दी जाएगी ।

स्पष्टीकरण.—इन नियमों के प्रयोजन के लिए कोई प्रतिदाय खारिज या समझा जाएगा यदि अपील अंतिम रूप से खारिज कर दी गई है या दावाकर्ता ने समुचित प्राधिकारी

को लिखित में वचनपत्र दे दिया है कि वह अपील फाइल नहीं करेगा ।

94. विलंबित प्रतिदायों पर ब्याज मंजूरी आदेश--

जहां धारा 56 के अधीन आवेदक को कोई ब्याज शोध्य है और संदेय योग्य है तो समुचित अधिकारी **प्ररूप जीएसटी आरफडी-05** में संदाय सूचना के साथ एक आदेश जिसमें प्रतिदाय की रकम जो विलंबित है, विलंब की अवधि जिसके लिए ब्याज संदेय है और संदेय ब्याज की रकम विनिर्दिष्ट करते हुए आदेश करेगा तथा ब्याज की ऐसी रकम रजिस्ट्रकरण विशिष्टियों में निर्दिष्ट और प्रतिदाय के लिए आवेदन में यथाविनिर्दिष्ट बैंक के खातों में से किसी को इलैक्ट्रानिक रूप से प्रत्यय किया जाएगा ।

95. कतिपय व्यक्तियों के लिए कर का प्रतिदाय--

(1) धारा 55 के अधीन जारी अधिसूचना के अनुसार अपने आंतरिक प्रदायों पर उसके द्वारा संदत्त कर का प्रतिदाय के दावे के लिए पात्र कोई व्यक्ति प्रतिदाय के लिए **प्ररूपजीएसटी आरएफडी-10** में प्रतिदाय के लिए प्रत्येक तिमाही में एक बार समान पोर्टल पर इलैक्ट्रानिक रूप से चाहें सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित साहयता केन्द्र के माध्यम से प्ररूप **जीएसटीआर-11** में माल या सेवाओं या दोनों के आंतरिक प्रदायों के कथन सहित **प्ररूप जीएसटीआर-1** में तत्स्थानी प्रदायकर्ताओं द्वारा आंतरिक प्रदायों के कथन के आधार पर तैयार रूप में आवेदन करेगा ।

(2) प्रतिदाय के लिए आवेदन की प्राप्ति की पावती प्ररूप **जीएसटी आरएफडी-02** जारी की जाएगी ।

(3) आवेदक द्वारा संदत्त कर का प्रतिदाय उपलब्ध होगा यदि--

(क) माल या सेवा या दोनों के आंतरिक प्रदायों का एक कर बीजक के विरुद्ध रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से प्राप्त हुआ है और पांच हजार रुपए से अधिक संदत्त कर को छोड़कर यदि कोई है एकल कर बीजक के अधीन आने वाले प्रदाय का मूल्य;

(ख) आवेदक का नाम और माल और सेवाकर संख्यांक या विशिष्ट पहचान संख्यांक कर बीजक में निर्दिष्ट है ; और

(ग) ऐसे अन्य निर्बधंन या दशाएं जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हों पूरी करता हो ।

(4) नियम 92 के उपबंध यथाआवश्यक परिवर्तनों के अधीन इस नियम के अधीन प्रतिदाय की मंजूरी और संदाय को लागू होंगे ।

(5) जहां व्यक्त उपबंध संधि या अन्य अंतरराष्ट्रीय करार है जिसमें राष्ट्रपति या भारत सरकार पक्षकार है इस अध्याय के उपबंधों से असंगत है तो ऐसी संधि या अंतरराष्ट्रीय करार लागू होगा ।

96. भारत के बाहर निर्यात किए गए माल पर एकीकृत कर का प्रतिदाय—(1) किसी निर्यातकर्ता द्वारा फाइल किए गए पोतपत्र को भारत के बाहर, निर्यात किए गए माल पर संदत्त एकीकृत प्रतिदाय के लिए आवेदन समझा जाएगा और ऐसा आवेदन केवल तब फाइल किया गया समझा जाएगा जब :--

(क) निर्यात माल का वहन करने वाले प्रवहण का भारसाधक व्यक्ति सम्यक् रूप से पोत पत्रों या निर्यात पत्रों की संख्या और तारीख वाली कोई निर्यात माल सूची या निर्यात रिपोर्ट फाइल करता है ; और

(ख) आवेदक ने प्ररूप **जीएसटीआर-3** में विधिमान्य विवरणी दी है ।

(2) प्ररूप **जीएसटीआरी-1** में अन्तर्विष्टि सुसंगत निर्यात बीजकों के ब्यौरों को सामान्य पोर्टल द्वारा इलैक्ट्रानिक रूप से सीमाशुल्क द्वारा अभिहित सिस्टम पर परेषित किया जाएगा और उक्त सिस्टम इलैक्ट्रानिक रूप से सामान्य पोर्टल को ऐसी पुष्टि पारेषित करेगा कि उक्त बीजकों के अन्तर्गत आने वाले माल का भारत से बाहर निर्यात किया गया है ।

(3) सामान्य पोर्टल से प्ररूप **जीएसटीआर-3**में विधिमान्य विवरणी देने के संबंध में सूचना प्राप्त होने पर सीमाशुल्क द्वारा अभिहित सिस्टम प्रतिदाय के दावे के लिए कार्यवाही करेगा और प्रत्येक पोत पत्र या निर्यात पत्र के संबंध में संदत्त एकीकृत कर के बराबर रकम को इलैक्ट्रानिक रूप से आवेदक के रजिस्ट्रीकरण विशिष्टियों में वर्णित और सीमाशुल्क प्राधिकारियों को यथा सूचित उसके बैंक खाते में जमा की जीएगी ।

(4) प्रतिदाय के दावे को वहां विधारित कर दिया जाएगा, जहां,--

(क) केन्द्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर अधिकारिता आयुक्त से धारा 54 की उपधारा (10) या उपधारा (11) के उपबंधों के अनुसार प्रतिदाय का दावा करने वाला व्यक्ति के प्रति देय संदाय को विधारित करने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है ; या

(ख) सीमाशुल्क उचित अधिकारी ने यह अवधारित किया है कि माल का निर्यात सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के उपबंधों के उल्लंघन में किया गया है ।

(5) जहां उपनियम (4) के खंड (क) उपबंधों के अनसार प्रतिदाय विधारित किया जाता है वहां सीमाशुल्क स्टेशन का एकीकृत कर उचित अधिकारी आवेदक और यथास्थिति, केन्द्रीय करअधिकारिता आयुक्त, राज्य कर अधिकारिता आयुक्त या संघ राज्यक्षेत्र करअधिकारिता आयुक्त को सूचित करेगा और ऐसी सूचना की एक प्रति सामान्य पोर्टल को पारेषित करेगा ।

(6) उपनियम (5) के अधीन सूचना के पारेषण पर, यथास्थिति, केन्द्रीय कर अचित अधिकारी, राज्य कर उचित अधिकारी या संघ राज्यक्षेत्र कर उचित अधिकारी प्ररूप **जीएसटी आरएफडी-07** के **भाग ख** में आदेश पारित करेगा ।

(7) जहां आवेदक उपनियम (4) के खंड (क) के अधीन विधारित रकम के प्रतिदाय का हकदार हो गया है वहां यथास्थिति, संबंधित केन्द्रीय कर अधिकारिता अधिकारी, राज्य कर अधिकारिता अधिकारी या संघ राज्यक्षेत्र कर अधिकारिता अधिकारी **जीएसटी आरएफडी-06** में आदेश पारित करने पश्चात् प्रतिदाय के लिए कार्यवाही करेगा ।

(8) केन्द्रीय सरकार, माल के ऐसे वर्ग के लिए जो इस निमित्त अधिसूचित किया जाए भुटान को निर्यात पर, भुटान सरकार को एकीकृत कर के प्रतिदाय का संदाय कर सकेगी और भुटान सरकार को ऐसा प्रतिदाय संदत्त किया जाता है वहां निर्यातकर्ता एकीकृत कर के किसी प्रतिदाय का संदाय नहीं करेगा ।

97. उपभोक्ता कल्याण निधि--

(1)उपभोक्ता कल्याण निधि को सभी प्रत्यय नियम 92 के उपनियम (4) के अधीन किए जाएंगे ।

(2) कोई रकम निधि को प्रत्यित किए जाने के लिए आदेशित या समुचित प्राधिकारी, अपीलीय प्राधिकारी, अपीलीय अधिकरण या न्यायालय के आदेशों द्वारा किसी दावाकर्ता को संदेय के रूप में निदेशित की जा चुकी है, निधि से संदत्त की जाएगी ।

(3) धारा 58 की उपधारा (1) के अधीन उपभोक्ता कल्याण निधि से रकम का कोई प्रयोग उपभोक्ता कल्याण निधि लेखा से विकलन और खाते जिसमें रकम को प्रयोग के लिए अंतरित किया जाना है, में प्रत्यय द्वारा किया जाएगा ।

(4) सरकार, आदेश द्वारा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य सचिव और ऐसे अन्य सदस्यों जिनको ठीक समझे, सहित स्थायी समिति का गठन करेगी और समिति उपभोक्ताओं के लिए उपभोक्ता कल्याण निधि को विकलित धन के समुचित प्रयोग के लिए सिफारिश करेगी ।

(5) समिति जब आवश्यक हो बैठक करेगी किंतु तीन मास में एक बार से कम नहीं ।

(6) कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई अभिकरण या संगठन जो उपभोक्ता कल्याण क्रियाकलापों में तीन वर्षों से लगा हुआ है जिसमें ग्राम या मंडल या उपभोक्ताओं के सहकारी स्तर समिति विशेषत: महिला, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति या औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) में परिभाषित कोई उद्योग जो

भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा अनुशंसित हो और पांच वर्षों से जीव्य और उपयोगी क्रियाकलापों में लगा हुआ है, जिसके द्वारा बहुउपयोग के उत्पादों के लिए मानक चिन्ह के विरचन के महत्वपूर्ण योगदान किया गया है या किया जाना है, सरकार या राज्य सरकार उपभोक्ता कल्याण निधि से अनुदान देने के लिए आवेदन करेगी ।

(7) उपभोक्ता कल्याण निधि से अनुदान के लिए सभी आवेदन, आवेदक द्वारा सदस्य सचिव को किए जाएंगे लेकिन समिति किसी आवेदन पर तब तक विचार नहीं करेगी जब तक सदस्य सचिव सारभूत ब्यौरों की जांच न कर ले और विचार करने के पश्चात् अनुशंसा न दे दे ।

(8) समिति को शक्तियां होंगी-

(क) किसी आवेदक को अपने समक्ष, सरकार द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत व्यक्ति के समक्ष ऐसी पुस्तकों, लेखओं, दस्तावेजों, लिखतों या आवेदक की अभिरक्षा या नियंत्रण में माल को जैसा आवश्यक हो आवेदन के समुचित मूल्यांकन के लिए प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगी ।

(ख) किसी आवेदक को परिसर जिसमें उपभोक्ता कल्याण के लिए क्रियाकलापों का होने का दावा किया गया है, और किया जाना बताया गया है का सम्यक् रूप से केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, यथास्थिति सम्यक् रूप से प्राधिकृत अधिकारी को प्रवेश और निरीक्षण के लिए अनुमति देने की अपेक्षा कर सकेगी ;

(ग) आवेदकों के संपरीक्षित लेखाओं को अनुदान के समुचित प्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए ले सकेगी ;

(घ) किसी आवेदक से किसी चूक के या उसके भाग पर किसी सारभूत सूचना के छिपाने की दशा में समिति को मंजूर अनुदान के एकमुश्त प्रतिदाय के लिए अपेक्षा कर सकेगी और इस अधिनियम के अधीन अभियोजित कर सकेगी ;

(ड) इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में किसी आवेदक से शोध्य रकम वसूल कर सकेगी ;

(च) किसी आवेदक या आवेदकों के वर्ग से आवर्तिक रिपोर्ट जो अनुदान के समुचित प्रयोग को दर्शित करती हो को प्रस्तुत करने को कह सकेगी ;

(छ) ताथ्यिक असंगततओं या सारभूत विशिष्टियों में त्रुटि होने पर उसके समक्ष प्रस्तुत किसी आवेदन को खारिज कर सकेगी ;

(ज) किसी आवेदक को अनुदान के द्वारा उसकी वित्तीय प्रास्थिति और उसके काम के अधीन क्रियाकलापों की प्रकृति की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए यह सुनिश्चित करने के पश्चात् प्रदत्त वित्तीय सहायता का दुरुउपयोग नहीं होगा न्यूनतम वित्तीय सहायता देने की सिफारिश कर सकेगी ;

(झ) लाभकारी और सुरक्षित सैक्टरों जहां उपभोक्ता कल्याण निधि का विनिधान किया

जाना है को पहचान कर तदनुसार सिफारिश करेगी ;

(ञ) किसी आवेदक के उपभोक्त कल्याण क्रियाकलापों की अवधि के लिए अपेक्षित दशाओं को शिथिल करे सकेगी ;

(ट) उपभोक्ता कल्याण निधि के प्रबंधन, प्रशासन और संपरीक्षा के लिए दिशानिर्देश बना सकेगी ।

(9) केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद् और भारतीय मानक ब्यूरो, माल और सेवाकर परिषद् को उपभोक्ता कल्याण निधि से होने वाले व्यय के प्रयोजन के लिए परियोजनाओं या प्रस्तावों पर विचार करने के लिए विस्तृत दिशानिर्देशों की सिफारिश कर सकेगी ।

अध्याय 11

मूल्यांकन और संपरीक्षा

98के उपबंधों के अधीन अनंतिम (1) की उपधारा 60 धारा (1)**अनंतिम मूल्यांकन .** ए आवेदन करने वाला प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति आधार पर कर के संदाय के लि सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित किए गए सुविधा केन्द्र के माध्यम से कोमन पोर्टल पर**प्ररूप जीएसटी एएसएमटी 01** में इलैक्ट्रानिक रूप से अपने आवेदन के समर्थन में दस्तावेजों के साथ आवेदन करेगा ।

न आवेदन की प्राप्ति पर उचित अधिकारी रजिस्ट्रीकृत के अधी (1) उपनियम (2) व्यक्ति से स्वयं उपस्थित होने या अपने आवेदन की समर्थन में अतिरिक्त जानकारी या दस्तावेज प्रस्तुत करने की अपेक्षा करने हुए**प्ररूप जीएसटी एएसएमटी 02** में नोटिस जारी करेगा और आवेदक **प्ररूप जीएसटी एएसएमटी 03** में नोटिस का जवाब फाइल करेगा ।

उचित अधिकारी या तो आवेदन अस्वीकृत करने के कारण बताते हुए आवेदन (3) निरस्त करने या अनंतिम आधार पर कर का संदाय अनुज्ञात करते हुए आदेश जारी करेगा जिसमें अनंतिम आधार पर वह मूल्य या दर या दोनों दर्शित करते हुए मूल्यांकन अनुज्ञात किया जाना है तथा वह रकम जिसके लिए बंधपत्र निष्पादित किया जाना है और वह प्रतिभूति जो दी जानी है जो बंधपत्र के अधीन आने वाली रकम के प्रतिशत से अधिक नहीं होगी । 25

रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति (4) धारा के उपबंधों के अनुसार (2) की उपधारा 60**प्ररूप जीएसटी एएसएमटी 05** में एक बंधपत्र उपधारा के अधीन यथा अवधारित रकम के लिए (3) बैंक प्रत्यभूति के रूप में प्रतिभूति के साथ निष्पादित करेगा:

परन्तु केन्द्रीय/राज्य माल और सेवा कर अधिनियम या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन उचित अधिकारी को प्रस्तुत किया गया बंध पत्र इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन किया गया बंधपत्र समझा जाएगा ।

स्पष्टीकरण–इस नियम के प्रयोजनों के लिए "रकम" पद में संव्यवहार के संबंध में संदेय एकीकृत करराज्य कर या ,केन्द्रीय कर , संघ राज्यक्षेत्र कर की रकम और उपकर सम्मिलित होगा ।

मूल्यांकन को अंतिम रूप देने के लिए (3) की उपधारा 60 उचित अधिकारी धारा (5) अपेक्षित जानकारी और अवलेखों को मांगने के लिए**प्ररूप जीएसटी एएसएमटी 06** में

नोटिस जारी करेगा जिसमें **प्ररूप जीएसटी एएसएमटी 07** में रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा संदेय या लौटाए जाने वाली कोई रकम यादि कोई होष्ट होगी ।विनिर्दि ,

के (4) के अधीन आदेश जारी करने के पश्चात् उपनियम (5) आवेदक उपनियम (6) अधीन प्रस्तुत प्रतिभूति को निर्मुक्त करने के लिए**प्ररूप जीएसटी एएसएमटी 08** में आवेदन फाइल कर सकेगा ।

में विनिर्दिष्ट (5) उचित अधिकारी यह सुनिश्चित करने के पश्चात् कि उपनियम (7) रकम आवेदक द्वारा संदत्त कर दी गई है प्रतिभूति को निर्मुक्त करेगा और उपनियम के अधीन आवेदन की प्राप्ति के सात कार्य दिवसों की अवधि के भीतर (6)**प्ररूप जीएसटी एएसएमटी 09** में एक आदेश जारी करेगा ।

99**विवरणियों की संवीक्षा .**--रा प्रस्तुत कोई विवरणी जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वा (1) के उपबंधों के 61 संवीक्षा के लिए चयन की जाती है वहां उचित अधिकारी धारा अनुसार उसकी संवीक्षा उसे उपलब्ध जानकारी के संदर्भ अनुसार करेगा और किसी विसंगती की दशा में वह उक्त व्यक्ति को**प्ररूप जीएसटी एएसएमटी 10** में नोटिस जारी करेगा और उसको ऐसी विसंगती के बारे में जानकारी देगा तथा नोटिस की तामील की तारीख से तीस दिन के भीतर उससे स्पष्टीकरण मांगेगा और करब्याज , की रकम और ऐसी विसंगती के संबंध में संदेय अन्य किसी रकम का मात्रांकनकरेगा ।

के अधीन (1) उपनियम (2) जारी नोटिस में वर्णित विसंगती को रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति स्वीकृत कर सकेगा और ऐसी विसंगती से उद्भूत करब्याज या किसी अन्य रकम का , संदाय करेगा और उचित अधिकारी को**प्ररूप जीएसटी एएसएमटी 11** में विसंगती के लिए स्पष्टीकरण देगा या उसे सूचित करेगा ।

(2) जहां उपनियम (3)के अधीन प्रस्तुत जानकारी या रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण स्वीकार्य पाया जाता है वहां उचित अधिकारी **प्ररूप जीएसटी एएसएमटी 12**में तदनुसार उसे सूचित करेगा ।

100कतिपय मामलों में मूल्यांकन ..--के अधीन किया (1) की उपधारा 62 धारा (1) गया मूल्यांकन का आदेश **प्ररूप जीएसटी एएसएमटी 13**में जारी किया जाएगा ।

के उपबंधों के अनुसार कराधेय व्यक्ति को 63 उचित अधिकारी धारा (2)**प्ररूप जीएसटी एएसएमटी 14** में नोटिस जारी करेगा जिसमें वे आधार अन्तर्विष्ट होंगे जो सर्वोत्तम निर्णय के आधार पर मूल्यांकन में प्रस्तावित हैं और ऐसे व्यक्ति को अपना उत्तर देने के लिए पन्द्रह दिन का समय अनुज्ञात करने के पश्चात् **प्ररूप जीएसटी एएसएमटी 15** में आदेश जारी करेगा ।

के अधीन संक्षिप्त मूल्यांकन का आदेश (1) की उपधारा 64 धारा (3)**प्ररूप जीएसटी एएसएमटी 16** में जारी किया जाएगा ।

क्तिमें निर्दिष्ट व्य (2) की उपधारा 64 धारा (4)**प्ररूप जीएसटी एएसएमटी 17** में संक्षिप्त मूल्यांकन को वापस लेने के लिए आवेदन फाइल कर सकेगा ।

,के अधीन आवेदन के अस्वीकार होने या यथास्थिति (2) की उपधारा 64 धारा (5) वापस लेने का आदेश**प्ररूप जीएसटी एएसएमटी 18** में जारी किया जाएगा ।

101के अधीन संपरीक्षा की अवधि एक वित्तीय (1) की उपधारा 65 धारा (1)**संपरीक्षा .** वर्ष या उसका गुणक होगी ।

के उपबंधों के अनुसार किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति की संपरीक्षा करने 65 जहां धारा (2) का विनिश्चय किया जाता है वहां उचित अधिकारी**प्ररूप जीएसटी एडीटी -1** में नोटिस उक्त धारा की उपधारा के उपबंधों के अनुसार जारी करेगा । (3)

उचित अधिकारी जो रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के अभिलेखों और लेखा वहियों की (3) अधिकारियों की टीम और उसके साथ के ,संपरीक्षा करने के लिए प्राधिकृत है पदधारियों की सहायता से वह दस्तावेज सत्यापित करेगा जिसके आधार पर लेखा वहियां अनुरक्षित की जाती हैं और अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन प्रस्तुत विवरणी और कथनदावा की गई छूटें और ,अवर्त की सत्यता , मालों की ,कटौतियांप्रदाय या सेवाओं या दोनों के संबंध में लागू कर की दर ,उपयोग और उपयोजित इनपुट कर प्रत्ययतिदाय और अन्य सुसंगत मुद्दे दावा किया गया प्र , तथा उसके संपरीक्षा टिप्पणों में अभिलेख और प्रेक्षण प्रस्तुत करेगा ।

उचित अधिकारी रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को विसंगतियां यदि कोई हों के बारे में (4) सूचित कर सकेगा और उक्त व्यक्त ि अपना उत्तर फाइल कर सकेगा तथा उचित अधिकारी दिए गए उत्तर पर विचार करने के पश्चात् संपरीक्षा के निष्कर्षों को अंतिम रूप देगा ।

संपरीक्षा के समाप्त होने पर उचित अधिकारी (5)**प्ररूप जीएसटी एडीटी -2** में धारा 65 के उपबंधों के अनुसार रजिस्ट्रीकृत व् (6) की उपधारायक्ति को संपरीक्षा के निष्कर्षों के बारे में सूचित करेगा ।

102के उपबंधों के अनुसार विशेष संपरीक्षा करने 66 जहां धारा (1) **विशेष संपरीक्षा .** की अपेक्षा है वहां उक्त धारा में निर्दिष्ट अधिकारी**प्ररूप जीएसटी एडीटी -3** में एक निदेश जारी करेगा जिसमें वह रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को उक्त निदेश में विनिर्दिष्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट या कोस्ट अकाउंटेंट द्वारा अभिलेखों की संपरीक्षा करवाने का निदेश देगा ।

विशेष संपरीक्षा के समाप्त होने पर रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को (2)**प्ररूप जीएसटी एडीटी - 4** में विशेष संपरीक्षा के निष्कर्षों के बारे में सूचित किया जाएगा ।

अध्याय12

अग्रिमविनिर्णय

103. **अग्रिमविनिर्णयप्राधिकरणकेसदस्योंकीअर्हताऔरनियुक्ति**केन्द्रीयसरकारऔरराज्यसरकार, अग्रिमविनिर्णयप्राधिकरणकेसदस्यकेरूपमेंसंयुक्तआयुक्तकीपंक्तिकेकिसीअधिकारीकोनियुक्तिकरेगी ।

104.अग्रिमविनिर्णयप्राधिकरणकोआवेदनकरनेकाप्रारूपऔररीति—(1)धारा97 कीउपधारा(1) केअधीनअग्रिमविनिर्णयप्राप्तकरनेकेलिएकोईआवेदनसामान्यपोर्टलपर**प्ररूपजीएसटीएआरए-1**मेंकियाजाएगाऔरउसकेसाथपांचहजाररुपएकीफीससंलग्नहोगीजोधारा49 मेंविनिर्दिष्टरीतिमेंजमाकीजाएगी।

(2) उपनियम(1) मेंनिर्दिष्टआवेदन, उसमेंअंतर्विष्टसत्यापनऔरऐसेआवेदनकेसाथसंलग्नसभीसुसंगतदस्तावेज नियम 26 में विनिर्दिष्टरीतिमेंहस्ताक्षरितहोंगे।

105. **प्राधिकरणद्वारासुनाएगएअग्रिमविनिर्णयकीप्रतियोंकाप्रमाणीकरण**—अग्रिमविनिर्णय की प्रति को, अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण के किसी सदस्य द्वारा उसके मूल की सही प्रतिलिपि के रूप में प्रमाणित किया जाएगा ।

106. **अग्रिमविनिर्णयअपीलप्राधिकरणकोअपीलकाप्ररूपऔररीति—(1)**आवेदक द्वारा,धारा98 कीउपधारा(6) केअधीनजारीअग्रिमविनिर्णयकेविरुद्धकोईअपीलसामान्यपोर्टलपरप्ररूप**जीएसटीआरए-2**मेंकीजाएगीऔरउसकेसाथदसहजाररुपएकीफीससंलग्नहोगीजोधारा49 मेंविनिर्दिष्टरीतिमेंजमाकीजाएगी।

(2) धारा98 कीउपधारा(6) केअधीन जारीअग्रिमविनिर्णय के विरुद्ध अपील सामान्य पोर्टल परप्ररूप**जीएसटीएआरए-3**में धारा 100 में निर्दिष्ट संबंधित अधिकारी या

अधिकारित अधिकारी को कीजाएगीऔर अपील फाइल करने के लिए उक्त अधिकारी द्वारा कोई फीस संदेय नहीं होगी ।

(3) उपनियम(1) या उपनियम (2) मेंनिर्दिष्ट अपील, उसमें अंतर्विष्ट सत्यापन और ऐसी अपली के साथ संलग्न सभी सुसंगत दस्तावेजों को,--

(क) संबंधितअधिकारीयाअधिकारितावालेअधिकारीकीदशामें, ऐसेअधिकारीद्वारालिखितमेंप्राधिकृतकिसीअधिकारीद्वारा; और

(ख) किसीआवेदककीदशामें, नियम 26 में विनिर्दिष्ट रीति से,

हस्ताक्षरितहोंगे।

107. प्राधिकारीद्वारासुनाएगएअग्रिमविनिर्णयकीप्रतियोंकीप्रमाणीकरण-- अग्रिमविनिर्णयअपीलप्राधिकारीद्वारासुनाएगएऔर सदस्य द्वारासम्यक्रूपसेहस्ताक्षरितअग्रिमविनिर्णयकीप्रति,--

(क) आवेदकऔरअपीलार्थीको;

(ख) केन्द्रीयकरऔरराज्यकर या संघराज्यक्षेत्रकरकेसंबंधितअधिकारीको;

(ग) केन्द्रीयकरऔरराज्यकर या संघराज्यक्षेत्रकरकेअधिकारितावालेअधिकारीको; और

(घ) प्राधिकरणको,

अधिनियमकीधारा101 कीउपधारा(4) केउपबंधोंकेअनुसारभेजीजाएगी।

अध्याय 13

अपील और पुनरीक्षण

108. अपील प्राधिकारी को अपील.–(1)धारा के अधीन अपील (1) की उपधारा 107 धिकारी को अपीलप्रा**प्ररूप जीएसटी एपीएल - 1** में सुसंगत दस्तावेजों के साथ इलैक्ट्रानिक रूप से या अन्यथा फाइल की जाएगी जैसा आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया जाए और अपीलार्थी को तत्काल अनंतिम अभिस्वीकृति जारी की जाएगी ।

(2)प्ररूप जीएसटी एपीएल - 1 में यथा अन्तर्विष्ट अपील के आधार और सत्यापन का प्ररूप नियम 26 में विनिर्दिष्ट रीति में हस्ताक्षरित किया जाएगा ।

(3)प्ररूप जीएसटी एपीएल - 1 में अपील की हार्डकापी अपील प्राधिकारी को तीन प्रतियों में प्रस्तुत की जाएगी और उसके साथ उपनियम के अधीन अपील (1) तर समर्थक दस्तावेजों के साथ विनिश्चय याफाइल करने के सात दिन के भी अपील आदेश की सत्यापित प्रति और अंतिम अभिस्वीकृति संलग्न होगी जिसमें अपील संख्या दर्शित होगी और तत्पश्चात् **प्ररूप जीएसटी एपीएल - 2** अपील प्राधिकारी द्वारा या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा :

परन्तु जहां अपील की हार्डकापी और दस्तावेज **प्ररूप जीएसटी एपीएल - 1** को फाइल करने के सात दिन के भीतर प्रस्तुत किए जाते हैं वहां अपील फाइल करने की तारीख अनंतिम अभिस्वीकृति जारी करने की तारीख होगी और जहां अपील की हार्डकापी और दस्तावेज सात दिन के पश्चात् प्रस्तुत किए जाते हैं वहां अपील फाइल करने की तारीख दस्तावेज प्रस्तुत करने की तारीख होगी ।

स्पष्टीकरण– इस नियम के उपबंधों के लिए,अपील को तभी फाइल किया गया माना जाएगा जब अपील संख्या दर्शित करते हुए अंतिम अभिस्वीकृति जारी की जाती है ।

109.अपील प्राधिकारी को आवेदन.–(1)अधिनियम की धारा के (2) की उपधारा 107 अधीन**प्ररूप जीएसटी एपीएल - 3** में अपील प्राधिकारी को आवेदन इलैक्ट्रानिक रूप से या अन्यथा प्रस्तुत किया जएगा जैसा आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया जाए ।

(2)प्ररूप जीएसटी एपीएल - 3 में अपील की हार्डकापी अपील प्राधिकारी को तीन प्रतियों में प्रस्तुत की जाएगी और उसके साथ उपनियम के अधीन अपील फाइल करने के (1)

सात दिन के भीतर समर्थक दस्तावेजों के साथ विनिश्चय या अपील आदेश की सत्यापित प्रति और अंतिम अभिस्वीकृति संलग्न होगी जिसमें अपील संख्या दर्शित रा याहोगी और अपील प्राधिकारी द्वाउसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अपील संख्या दी जाएगी ।

110अपील अधिकरण को अपील ..-- (1)धारा के अधीन (1) की उपधारा 112**प्ररूप जीएसटी एपीएल - 5** में सुसंगत दस्तावेज़के साथ अपील अधिकरण को अपील इलैक्ट्रानिक रूप से या अन्यथा जैसा रजिस्ट्रार द्वारा अधिसूचित किया जाए ,सामान्य पोर्टल पर प्रस्तुत किया जएगा और अपीलार्थी को तत्काल अनंतिम अभिस्वीकृति जारी की जाएगी ।

(2)अधिनियम की धारा के अधीन (5) की उपधारा 112**प्ररूप जीएसटी एपीएल - 6** में अपील अधिकरण को तिर्यक आक्षेपों पर ज्ञापन तीन प्रतियों में रजिस्ट्रार को फाइल किया जाएगा ।

अपील और तिर्यक आक्षेपों पर ज्ञापन नियम (3)26 में विनिर्दिष्ट रीति में हस्ताक्षरित किया जाएगा ।

(4)**प्ररूप जीएसटी एपीएल - 5** में अपील की हार्डकापी तीन प्रतियों में रजिस्ट्रार को प्रस्तुत की जाएगी और उसके साथ उपनियम अधीन अपील फाइल करने के के (1) सात दिन के भीतर समर्थक दस्तावेजों के साथ विनिश्चय या अपील आदेश की सत्यापित प्रति और अंतिम अभिस्वीकृति संलग्न होगी जिसमें अपील संख्या दर्शित होगी और तत्पश्चात् रजिस्ट्रार द्वारा **प्ररूप जीएसटी एपीएल - 2** में जारी किया जाएगा :

परन्तु जहां अपील की हार्डकापी और दस्तावेज **प्ररूप जीएसटी एपीएल -5**को फाइल करनेके सात दिन के भीतर प्रस्तुत किए जाते हैं वहां अपील फाइल करने की तारीख अनंतिम अभिस्वीकृति जारी करने की तारीख होगी और जहां अपील की हार्डकापी और दस्तावेज सात दिन के पश्चात् प्रस्तुत किए जाते हैं वहां अपील फाइल करने की तारीख दस्तावेज प्रस्तुत करने की तारीख होगी ।

स्पष्टीकरण--इस नियम के प्रयोजनों के लिए,अपील को तभी फाइल किया गया माना जाएगा जब अपील संख्या दर्शित करते हुए अंतिम अभिस्वीकृति जारी की जाती है ।

ने की फीस प्रत्येक एक लाख रुपए के अपील फाइल करने या अपील प्रत्यावर्तन कर (5)
कर या अन्तर्वलित इनपुट कर प्रत्यय या अन्तर्वलित कर या इनपुट कर प्रत्यय के
फीस या शास्ति की रकम ,अन्तर अथवा अपील किए गए आदेश में अवधारित जुर्माना
के लिए अधिकतम पच्चीस हजार रुपए के अध्याधीनएक हजार रुपए होगी । ,

में निर्दिष्ट त्रुटियों को सुधारने के लिए अपील (10) की उपधारा 112 धारा (6)
अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत आवेदन के लिए कोई फीस नहीं होगी ।

111अपील अधिकरण को आवेदन ..--(1)धारा के अधीन (3) की उपधारा 112**प्ररूप जीएसटी एपीएल - 7** में अपील अधिकरण को कोमन पोर्टल पर इलैक्ट्रानिक रूप से अपील की जाएगी ।

(2)प्ररूप जीएसटी एपीएल - 7 में अपील की हार्डकापी तीन प्रतियों में रजिस्ट्रार को प्रस्तुत की जाएगी और उसके साथ उपनियम के अधीन अपील फाइल करने के (1) सात दिन के भीतर समर्थक दस्तावेजों के साथ विनिश्चय या अपील आदेश की सत्यापित प्रति और अंतिम अभिस्वीकृति संलग्न होगी और रजिस्ट्रार द्वारा अपील संख्या दी जाएगी ।

112 अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण के समक्ष अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करना .

अपीलार्थी द्वारा निम्नलिखित परिस्थितियों के सिवायन्यायनिर्णयन ,यथास्थिति , समक्ष कार्यवाहियों के दौरान उसे द्वारा प्रस्तुत प्राधिकारी या अपील प्राधिकारी के अपील प्राधिकारी या अपील ,साक्ष्य से भिन्न कोई साक्ष्य चाहे मौखिक हो या दस्तावेजी अर्थात् ,अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करना अनुज्ञात नहीं किया जाएगा:--

री न्यायनिर्णयन प्राधिकारी या अपील प्राधिका ,जहां यथास्थिति (क) ने साक्ष्य स्वीकार करने से इंकार कर दिया है जो स्वीकृत किए जाने चाहिए थे; या

न्यायनिर्णयन प्राधिकारी या अपील प्राधिकारी ,जहां यथास्थिति (ख) द्वारा प्रस्तुत करने के लिए साक्ष्य मंगवाए गए थे किन्तु अपीलार्थी सफल रहापर्याप्त कारणों से उन्हें प्रस्तुत करने में अ; या

न्यायनिर्णयन प्राधिकारी या अपील प्राधिकारी ,जहां यथास्थिति (ग) द्वारा प्रस्तुत करने के लिए अपील के आधार पर सुसंगत कोई साक्ष्य मंगवाए गए थे किन्तु अपीलार्थी पर्याप्त कारणों से उन्हें प्रस्तुत करने में असफल रहा ; या

यन प्राधिकारी या अपील न्यायनिर्ण ,जहां यथास्थिति (घ) प्राधिकारी ने अपीलार्थी को अपील के आधार पर सुसंगत कोई साक्ष्य प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिए बिना आदेश किया ।

के अधीन कोई साक्ष्य स्वीकार नहीं किया जाएगा यदि अपील (1) उपनियम (2) उसे स्वीकार करने के प्राधिकारी या अपील अधिकरण अभिलेख में लिखित रूप में कारण अभिलेखबद्ध नहीं करता है ।

के अधीन कोई साक (1) उपनियम (3)्ष्य नहीं लिया जाएगा यदि अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी निम्नलिखित के संबंध में पर्याप्त अवसर अनुज्ञात नहीं किया जाता है :--

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य या दस्तावेज का परीक्षण या (क) किसी गवाह की प्रतिपरीक्षा ; या

के अधीन अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के (1) उपनियम (ख) खंडन में कोई साक्ष्य या गवाह प्रस्तुत करना ।

ल अधिकरण की इस नियम में अन्तर्विष्ट कोई बात अपील प्राधिकारी या अपी (4) अपील को निपटाने में उसे समर्थ बनाने के लिए किसी दस्तावेज को प्रस्तुतकरने या किसी गवाह के परीक्षण को निदेशित करने की उसकी शक्ति पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी ।

113. अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण का आदेश.-- अपील प्राधिकारी धारा (1) के अधीन अपने आदेश के साथ (11) की उपधारा 107**प्ररूप जीएसटी एपीएल - 4** में स्पष्ट रूप से दर्शित करते हुए कि मांग की अंतिम रकम की पुष्टि हो गई हैआदेश , का संक्षिप्त सार जारी करेगा ।

अधिकारिता अधिकारी (2)**प्ररूप जीएसटी एपीएल - 4** में स्पष्ट रूप से दर्शित करते हुए कि मांग की अंतिम रकम की पुष्टि अपील अधिकरण द्वारा हो गई है आदेश का , संक्षिप्तसारजारीकरेगा

114उच्च न्यायालय को अपील ..--(1)धारा के अधीन उच्च (1) की उपधारा 117 न्यायालय को अपील**प्ररूप जीएसटी एपीएल - 8** में फाइल की जाएगी ।

(2)प्ररूप जीएसटी एपीएल - 8 में यथा अन्तर्विष्ट अपील के आधार और सत्यापन का प्ररूप नियम 26 में विनिर्दिष्ट रीति में हस्ताक्षरित किया जाएगा ।

115**न्यायालय द्वारा मांग की पुष्टि** ..--अधिकारिता अधिकारी **प्ररूप जीएसटी एपीएल - 4**में स्पष्ट रूप से दर्शित करते हुए कि मांग की अंतिम रकम की पुष्टि यथास्थिति , कथन जारी करेगा । ,यालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा हो गई हैउच्च न्या

116 .अपराधिकृत प्रतिनिधि के कदाचरण के लिए निर्हता.--जहां अधिनियम की धारा के अधीन निर्दिष्ट व्यक्ति से भिन्न (ग) या खंड (ख) के खंड (2) की उपधारा 116 धिनियम के अधीन किन्हीं कोई प्राधिकृत प्रतिनिधि मामले की जांच करने पर अ कार्यवाहियों के संबंध में कदाचरण का दोषीपाया जाता हैवहां आयुक्त उसे सुनवाई , का एक अवसर देने के पश्चात् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में प्रस्तुत होने से निर्हरित कर देगा ।

अध्याय 14

संक्रमणकालीन उपबंध

117. नियत दिन पर स्टॉक में रखे माल पर किसी विद्यमान विधि के अधीन कर या शुल्क प्रत्यय का अग्रेषण– (1) धारा 140 के अधीन निवेश कर के प्रत्यय को लेने का अधिकार प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति नियत दिन के नब्बे दिन के भीतर **प्ररूप जीएसटी ट्रान-1** में सम्यक् रूप से हस्ताक्षर कर समान पोर्टल पर जिसमें पृथक रूप से निवेश कर प्रत्यय की रकम जिसका वह उक्त धारा के उपबंधों के अधीन हकदार है पृथक रूप से विनिर्दिष्ट करते हुए इलैक्ट्रानिक रूप से घोषणा प्रस्तुत करेगा :

परंतु यह कि आयुक्त परिषद् की सिफारिश पर नब्बे दिन से अनधिक और अवधि द्वारा नब्बे दिन की अवधि की सीमा बढ़ा सकेगा ।

परन्तु यह और कि धारा 140 की उप-धारा (1) के अंतर्गत दावे के मामले में आवेदन में अलग से निर्दिष्ट होगा–

(i) केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956 की धारा-3, धारा-5 की उप-धारा (3), धारा-6 एवं धारा-6ए तथा धारा 8 की उप-धारा (8) के अंतर्गत आवेदक द्वारा किये गए दावे का मूल्य; और

(ii) आवेदक द्वारा उपरोक्त उप-खंड (i) में उल्लेखित दावे के समर्थन में समर्पित केंद्रीय बिक्री कर (रजिस्ट्रेशन एवं टर्नओवर) नियमावली, 1957 के नियम 12 में निर्दिष्ट प्ररूप में घोषणा पत्र 'सी' और/या 'एफ' या प्ररूप 'ई' और / या 'एच' या प्ररूप 'आई' में प्रमाण पत्र का क्रमांक संख्या एवं मूल्य

(2) उपनियम (1) के अधीन प्रत्येक घोषणा में--

(क) धारा 144 की उपधारा (2) के अधीन दावे की दशा में नियत दिन पर पूंजी माल के प्रत्येक मद की बाबत निम्नलिखित विशिष्टियां पृथक रूप से विनिर्दिष्ट की जाएंगी–

(i) नियत दिन तक प्रत्येक विद्यमान विधि के अधीन निवेश कर प्रत्यय के माध्यम से लभ्य या प्रयुक्त कर या शुल्क की रकम ; और

(ii) नियत दिन तक प्रत्येक विद्यमान विधि के अधीन निवेश कर प्रत्यय के माध्यम से अभी तक लभ्य या प्रयुक्त किए जाने वाले कर या शुल्क की रकम ; और

(ख) धारा 140 की उपधारा (3) या उपधारा (4) के खंड (ख) या उपधारा (6) या उपधारा (8) के अधीन दावे की दशा में नियत दिन पर रखे स्टॉक का ब्यौरा पृथक रूप से विनिर्दिष्ट किया जाएगा ;

(ग) धारा 140 की उपधारा (5) के अधीन दावे की दशा में निम्नलिखित ब्यौरे प्रस्तुत किए जाएंगे, अर्थात् :--

(i) प्रदायकर्ता का नाम, क्रम संख्यांक और प्रदायकर्ता द्वारा बीजक को जारी करने तारीख या कोई दस्तावेज़ जिसके आधार पर निवेश कर का प्रत्यय विद्यमान विधि के अधीन अनुज्ञेय था ;

(ii) माल या सेवा का वर्णन और मूल्य;

(iii) माल की दशा में मात्रा और उस पर इकाई या इकाई मात्रा कोड;

(iv) पात्र कर और शुल्क की रकम यथास्थिति मूल्य वर्धित कर या (प्रवेश शुल्क) जो प्रदायकर्ता द्वारा माल या सेवाओं के बाबत प्रभारित किया गया है ; और

(v) वह तारीख जिसको माल या सेवाओं की रसीद प्राप्तकर्ता के खाते की पुस्तकों में प्रविष्ट की गई है ।

(3) प्ररूप **जीएसटी ट्रान-1** में आवेदन में विनिर्दिष्ट प्रत्यय की रकम समान पोर्टल पर प्ररूप **जीएसटी पीएमटी-2** में रखे गए आवेदक के इलैक्ट्रानिक प्रत्यय बहि को प्रत्ययित की जाएगी ।

(4)(क)(i) एक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिसके पास माल का वैसा स्टॉक है जिस पर राज्य में बिक्री के प्रथम बिंदु पर कर लग चुका है एवं राज्य में जिसके आगामी बिक्रियों पर कर नहीं लगना है एवं धारा 140 की उप-धारा (3) के परंतुक के अनुसार प्रत्यय का लाभ लिया जाना है, को नियत तिथि को स्टॉक में रखे वैसे वस्तुओं, जिनकी बाबत वह मूल्य संवर्धित कर के भुगतान दर्शाने वाले कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं रखता है, पर इनपुट कर प्रत्यय के लाभ प्राप्त करने की अनुमति दी जाएगी.

(ii) उप-खंड(1) में उल्लेखित प्रत्यय, ऐसे मालों जिसकी नियत तिथि के बाद आपूर्ति पर राज्य कर की दर 9 या इससे अधिक प्रतिशत की दर से आकृष्ट है, पर 60 प्रतिशत की दर से तथा राज्य कर की अन्य दर आकृष्ट होने वाली वस्तुओं पर 40 प्रतिशत की दर से अनुज्ञेय होगी और संगत आपूर्ति पर देय राज्य कर के भुगतान के पश्चात प्रत्यय दी जाएगी.

परन्तु यह की जहाँ ऐसी वस्तुओं पर एकीकृत कर का भुगतान किया जाना है वहां प्रत्यय की रकम उक्त कर के क्रमशः 30 प्रतिशत 20 प्रतिशत की दर से अनुज्ञेय होगी.

(iii) यह व्यवस्था निर्धारित तिथि से छः कर अवधि तक उपलब्ध रहेगी.

(ख) राज्य कर का ऐसा प्रत्यय निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्राप्य होगी -

(i) ऐसी वस्तुएं जो छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 सा अंतर्गत पूर्णतः विमुक्त नहीं थी.

(ii) ऐसी माल के प्राप्ति के लिए दस्तावेज रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के पास उपलब्ध है.

(iii) ऐसी योजना का लाभ उठाने वाला रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति नियम 1 के उप-नियम (2) के खंड (ख) के अनुसरण में उसके द्वारा रखे माल के स्टॉक का ब्यौरा जिसमे कर अवधि के दौरान प्रभावित ऐसे माल के प्रदाय के ब्योरे होंगे, प्ररुप जीएसटी ट्रान 2 में स्कीम संचालन के दौरान छः कर अवधियों के प्रत्येक के अंत पर प्रस्तुत करेगा.

(iv) अनुज्ञात प्रत्यय की रकम सामान्य पोर्टल पर प्ररुप जीएसटी पीएमटी 2 में रखे गए आवेदक के इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रजिस्टर को प्रत्यायित की जाएगी और :

(v) माल का वह स्टॉक जिस पर प्रत्यय उपलब्ध है को इस प्रकार से भंडारित किया गया है कि इससे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा आसानी से पहचाना जा सके.

118. धारा 142 की उपधारा (11) के खंड (ग) के अधीन की जाने वाली घोषणा– प्रत्येक व्यक्ति जिस पर धारा 142 की उपधारा (11) के खंड (ग) के उपबंध लागू हैं नियत दिन के नब्बे दिन की अवधि में **प्ररूप जीएसटी ट्रान-1** में प्रदाय का अनुपात जिसको नियत दिन से पूर्व मूल्य वर्धित कर या सेवा कर संदत्त किया जा चुका लेकिन प्रदाय नियत तारीख के बाद किया गया है और उस पर अनुज्ञेय निवेश कर प्रत्यय की घोषणा प्रस्तुत करेगा ।

119. प्रधान और अभिकर्ता द्वारा रखे स्टॉक की घोषणा--प्रत्येक व्यक्ति जिसको धारा 142 के उप-खंड (14)के उपबंध लागू हैं, नियत दिन के नब्बे दिन के भीतर प्ररूप जीएसटी ट्रान-1 में नियत तिथि को उसके द्वारा धारित इनपुट अर्ध तैयार माल या तैयार माल जो जैसा की लागू हो,स्टॉक को इलैक्ट्रानिक रीति से विनिर्दिष्ट करते हुए घोषणा करेगा ।

120. अनुमोदन के आधार पर भेजे माल के ब्यौरे--प्रत्येक व्यक्तिविद्यमान विधि के अधीन अनुमोदन पर माल भेजना हैऔर जिसको धारा 142 की उपधारा (12) लागू है नियत दिन के नब्बे दिन के भीतर प्ररूप जीएसटी ट्रान-1 के अनुमोदन पर भेजे गए ऐसे माल के ब्यौरे प्रस्तुत करेगा ।

121. गलत रूप से प्राप्त किए गए प्रत्यय की वसूली--नियम 97 के उपनियम (3) के अधीन प्रत्यय की गई रकम सत्यापित की जाएगी और धारा 73 या धारा 74 के अधीन कार्यवाहियां यथास्थिति चाहें वह पूर्णत: या आंशिक रूप से किसी गलत तरीके से प्राप्त किसी प्रत्यय के बाबत शुरु की जाएंगी ।

अध्याय 15
मुनाफाखोरीरोधी नियम-,2017

122. **प्राधिकरण का गठन.**--प्राधिकरणपरिषद् द्वारा नामनिर्देशित निम्नलिखित से मिलकर बनेगा--

)कण पदधारक्ष जिसने भारत सरकार के सचिव की श्रेणी के समतुल्यअध्य (
किया है या किया हो

)ख या के कर आयुक्त जो राज्यचार तकनीकी सदस्य (न्द्रीय कर आयुक्त है या रहा है या जिसने विद्यमान विधि के अधीन समतुल्य पद धारण किया है या किया हो

123. **स्थायी समिति और छानबीन समिति का गठन**परिष्द् (1)--:, राज्य और केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा नामनिर्दिष्ट, ऐसे अधिकारियों से मिलकर मुनाफाखोरी रोधी स्थायी समिति का गठन कर सकेगा ।

(2)राज्य स्तरीय छानबीन समिति राज्य सरकारों द्वारा प्रत्येक राज्य में गठित की जाएंगी, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी—

)कया गया द्वारा नामनिर्देशित किआयुक्त (, राज्य सरकार का कोई अधिकारी और

)ख द्वारा नामन आयुक्तमुख्य (िर्देशित किया गया, केन्द्रीय सरकार का कोई अधिकारी ।

124. **प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य निबंधनों और शर्तें**युक्ति की निक्ष और सदस्योंअध्य (1)--:, केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थायी समिति जिसका गठन परिषद्बोर्ड द्वारा प्रयोजन के लिए किया गया है/, की सिफारिशों पर होगी ।

2 क्ष कोअध्य (2),25,) 000नियत भत्ते किया जाएगा और अन्यमासिक वेतन संदत्त (पदधारण य सरकार मेंऔर फायदे यथाग्राह्य है जैसे कि केन्द्री किए अधिकारी को समान वेतन में दिए जा रहे हैं ।

परंतुक यह कि जहां कोई सेवानिवृत्त अधिकारी अध्यक्ष के रूप में चयनित होता है उसे रु2 0,25000का मासिक वेतन -/ में से पेंशन की रकम घटाकर संदत्त किया जाएगा ।

2 कोतकनीकी सदस्य (3),05,) 400नियत किया जाएगा और वह वेतन संदत्त मासिक (निकालने का हकदार होगा जैसे कि भारत सरकार के समूहभत्ते'क' पदधारित अधिकारी को समान वेतन में ग्राह्य है ।

परंतु यह कि जहां कोई सेवानिवृत्त अधिकारी तकनीकी सदस्य के रूप में चयनित होता है उसे रु2 0,05, -/400का मासिक वेतन में से पेंशन की रकम घटाकर संदत्त किया जाएगा ।

क्षअध्य (4),उस तारीख से जिससे उन्होंने कार्यभार संभाला है, से तीन वर्ष की अवधि के लिए पदधारण करेगा या जब तक कि वह पैंसठ वर्ष की आयु का नहीं हो जाता, जो भी पहले हो और पुन के लिएनियुक्ति: पात्र होगा ।

परंतु यह कि कोई भी व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में चयनित नहीं होगा, यदि उसकी आयु बासठ वर्ष की हो चुकी है ।

प्राधिकरण का तकनीकी सदस्य (5), उस तारीख से जिससे उन्होंन कार्यभार संभाला है, से तीन वर्ष की अवधि के लिए पदधारण करेगा या जब तक कि वह पैंसठ वर्ष की आयु का नहीं हो जाता, जो भी पहले हो और पुन के लिए पात्र होगा ।नियुक्ति:

परंतु यह कि कोई भी व्यक्ति तकनीकी सदस्य के रूप में चयनित नहीं होगा यदि उसकी आयु बासठ वर्ष की हो चुकी है ।

125. **प्राधिकरण का सचिव.**--बोर्ड के अधीन रक्षोपाय अपर महानिदेशक, प्राधिकरण का सचिव होगा ।

126. **पद्धति और प्रक्रिया अवधारित करने की शक्ति--:**प्राधिकरण यह अवधारण करने के लिए कि क्या माल या सेवाओं के प्रदाय पर कर की दर में कटौती या इनपुट कर प्रत्यय पर फायदे, मूल्य में कटौती की अनुरूपता द्वारा रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से प्राप्तिकर्ता को पहुंच रहे हैं, पद्धति और प्रक्रिया को अवधारित कर सकता है ।

127. **प्राधिकरण के कर्तव्य** होगा कि यह अवधारित करे प्राधिकरण का कर्तव्य (1)--: किसी माल या सेवाओं के प्रदाय पर कर दी दर में कटौती या इनपुट कर कि क्या य के फायदेप्रत्य, मूल्य में कटौती की अनुरूपता द्वारा प्राप्तिकर्ता को पहुंच रहे हैं;
की पहचान करे जो क्तिकृत व्य होगा कि वह उस रजिस्ट्रीप्राधिकरण का कर्तव्य (2) य के माल या सेवाओं के प्रदाय पर कर में कटौती के फायदे या ईनपुट कर प्रत्य फायदे, मूल्यों में कटौती की अनुरूपता से प्राप्तिकर्ता को नहीं पहुंचा रहा है;
होगाप्राधिकरण का यह कर्तव्य (3) कि—

में कटौती का आदेश देंवह मूल्यों (क);

में कटौती की अनुरूपता से होने होगा कि वह मूल्योंप्राधिकरण का यह कर्तव्य (ख) वाली रकम के समकक्ष रकम, उच्च दर पर रकम संग्रहित करने की तारीख से वापिस करने की तारीख तक अठारह प्रतिशत की दर पर ब्याज सहित प्राप्तिकर्ता को वापिस करने का आदेश दे; यावसूली की रकम वापस नहीं की गई है, यथास्थिति उस दशा में

जहां पात्र व्यक्ति वापस की गई रकम पर दावा नहीं करता है या पहचान नहीं हुई है और धारा 57 में निर्दिष्ट निधि में समान रूप से जमा करेगा ।

अधिनियम के अधीन यथाविहित (ग)शास्ति अधिरोपित करना; और

करण को रद्द करना ।अधिनियम के अधीन रजिस्ट्री (घ)

128. **स्थायी समिति और छानबीन समिति द्वारा आवेदन का परीक्षण**यी स्था (1)--: समिति, किसी हितबद्ध पक्षकार या आयुक्त या किसी अन्य व्यक्ति से, उनके द्वारा ऐसी विनिर्दिष्ट रूप और रीति में लिखित आवेदन की प्राप्ति पर, आवेदन में उपबंधित साक्ष्य की यथार्थता और यथायोग्यता का परीक्षण करेगी जिससे यह अवधारित किया जा सके कि क्या आवेदक का दावा कि किसी माल या सेवा के प्रदाय में कर की दर में कटौती या ईनपुट कर प्रत्यय का फायदा, मूल्यों में कटौती की अनुरूपता से प्राप्तिकर्ता तक नहीं पहुंच पाया है, दावे के समर्थन के लिए क्या प्रथम दृष्टया साक्ष्य है ।

नीय प्रकृति के मामलों पर हितबद्धस्था (2) पक्षकारों से प्राप्त सभी आवेदनों का प्रथमतय छानबीन समिति और छानबीन समिति द्वारा किया जाएगारी स्तराज्य :, यह समाधान होने पर कि प्रदायकर्ता ने धारा घन किया हैके उपबंधों का उल्लं 171, उसकी सिफरिशों सहित आवेदन को स्थायी समिति के पास अग्रिम कार्यवाही के लिए अग्रेषित करेगा ।

129. **आरंभ और कार्यवाहियों के परिचालन के सिद्धांत**यी समिति ने जहां स्था (1)--: हैं कि प्रदायकर्ता या साक्ष्यअपना समाधान कर लिया है कि वहां दिखाने के प्रथम दृष्ट द्वारा माल और सेवाओं के प्रदाय पर कर की दर में कटौती का फायदा या ईनपुट कर प्रत्यय का फायदा, मूल्यों में कटौती की अनुरूपता से प्राप्तिकर्ता तक नहीं पहुंच पाया है, मामले को ब्यौरेवार अन्वेषण के लिए रक्षोपाय महानिदेशालय को निर्दिष्ट करेगी ।

माल या सेवाओं के षण संचालित करेगा और क्यारक्षोपाय महानिदेशालय अन्वे (2) किसी प्रदाय पर कर की दर में कोई कटौती या ईनपुट कर प्रत्यय पर फायदा, मूल्यों में कटौती की अनुरूपता से प्राप्तिकर्ता तक पहुंचा है, आवश्यक साक्ष्य संग्रहित करेगा ।

रक्षोपाय महानिदेशालय (3), अन्वेषण के आरंभ से पूर्व, हितबद्ध पक्षकारों को सूचना जारी करेगा, जिसमें अन्य बातों के साथ निम्नलिखित यथायोग्य सूचना अंतर्विष्ट है, अर्थात् --:

माल या सेवाओं का विवरण जिसके संदर्भ में कार्यवाहियां आरंभ की गई है (क);

के विवरण का सार जिस पर आरोप आधारित हैतथ्यों (ख);

यों को जिनके पासक्ति व्ययों और अन्यक्तिहितबद्ध व्य (ग)उनके उत्तर के लिए कार्यवाहियों से संबंधित सूचना हो सकती है अनुज्ञात समयसीमा ।-
यों जो मामले में ऋजु जांच के लिए क्ति व्यरक्षोपाय महानिदेशालय ऐसे अन्य (4) समझे गए हैंउपयुक्त, को सूचना जारी कर सकेगा ।
रक्षोपाय महानिदेश (5), उसके समक्ष कार्यवाहियों में भाग ले रही किसी एक हितबद्ध पक्षकार द्वारा अन्य हिबद्ध पक्षकारों को दिए गए साक्ष्यों को को उपलब्ध करवाएगा
से तीन मास की यी समिति से निर्देश की प्राप्तिरक्षोपाय महानिदेशालय स्था (6) रित अवधि जो आगे तीन मास की अवधि से अनधिक अवधि के भीतर या ऐसी विस्ता होके लिए स्थायी समिति से यथा अनुज्ञात लिखित में दिए गए कारणों द्वारा अन्वेषण पूर्ण करेगा और अन्वेषण के पूर्व होने पर, सुसंगत अभिलेखों के साथ उनके निष्कर्ष की एक रिपोर्ट प्राधिकरण को सौंपेगा ।

130. **सूचना की गोपनीयता**सूचना का अधिकार अधिनियम (1)--:,2005 (2005 का 22) की धारा के उपबंध 11, नियम 129 के उपनियम और नियम (5) और (3)133 के उपनियम होते हुए भी बातों के साथ अंतर्विष्टमें अन्य (2), किसी जानकारी के सपष्टीकरण को जो सूचना गोपनीयता के आधार पर यथा आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होगी ।
रक्षोपाय महानिदेशा (2)लय, पक्षकार जो गोपनीयता के आधार पर जानकारी दे रहे हैं, से गैरगोपनीय सार देने की अपेक्षा कर सकेगा और यदि-, ऐसी जानकारी देने वाले पक्षकार की यह राय है कि ऐसी जानकारी का सार नहीं किया जा सकता, ऐसे पक्षकार रक्षोपाय महानिदेशालय को, कि क्यों सार करना संभव नहीं है के कारणों का विवरण प्रस्तुत कर सकते हैं;

131. **--:करणों या कानूनी प्राधिकरणों के साथ सहयोग अभिअन्य**जहां रक्षोपाय महानिदेशालय ठीक समझे, अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किसी अन्य अभिकरण या कानूनी प्राधिकारण की राय मांग सकता है ।

132. **साक्ष्य देने और दस्तावेज पेश करने के लिए व्यक्तियों को समन करने की शक्ति** प्रयोग को समन करने की शक्तिक्तिरक्षोपाय महानिदेशालय को किसी व्य (1): क है चीज़ के लिए आवश्यके अधीन कोई अन्य 70 करने के लिए या धारा, के लिए उचित अधिकारी समझा जाए और सिविल प्रक्रिया संहिता, (5 का 1908) 1908 के उपबंधों के अधीन सिविल न्यायालय की दशा में यथा उपबंधित, उसी रीति में जांच की शक्ति होगी ।

सभी ऐसी जांचमें निर्दिष्ट (1) उपनियम (2), भारतीय दंड संहिता, का 1860) 1860 (45की धारा के अर्थ के अंतर्गत 193 और 228"न्यायिक कार्यवाहियां" समझी जाएं ।

133. **प्राधिकरण का आदेश.**--प्राधिकरण (1), रक्षोपाय महानिदेशालय से रिपोर्ट प्राप्ति की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर अवधारित करेगा कि क्या रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने माल या सेवाओं के प्रदाय पर की दर में कटौती या इनपुट कर प्रत्यय के फायदे, मूल्यों में कटौती की अनुरूपता से प्राप्तिकर्ता तक पहुचाएं हैं ।

(2) जहां ऐसे हितबद्ध पक्षकारों से लिखित में कोई प्रार्थना प्राप्त होती है, प्राधिकरण द्वारा हितबद्ध पक्षकारों को सुनने का एक अवसर प्रदान करेगा ।

जहां प्राधिकरण यह अवधारित करता है कि (3)रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने माल या सेवाओं के प्रदाय पर कर की दर में कटौती या इनपुट कर प्रत्यय को मूल्यों में कटौती की अनुरूपता से प्राप्तिकर्ता नहीं पहुंचाया है, प्राधिकरण --:

में कटौती का आदेश कर सकेगामूल्यों (क);

कर्ता कोप्राप्ति (ख), मूल्यों में कटौती की अनुरूपता से होने वाली रकम के समकक्ष रकम, उच्च दर पर रकम संग्रहित करने की तारीख से वापिस करने की तारीख तक अठारह प्रतिशत की दर पर ब्याज सहित, वापिस करने का आदेश दे सकेगा; या

उस दशा में जहां पात्र व्यक्ति वापिस की रकम प्राप्त करने के लिए उपलब्ध नहीं है, खंड के अधीन वापिस नहीं की गई रकम की वसूली का आदेश दे (ख) निधि में निक्षेप करेगा ।में निर्दिष्ट 57 सकेगा और उसे धारा

का अधिरोपणअधिनियम के अधीन यथाविहित शास्ति (ग); और

करण का रद्दकरण ।अधिनियम के अधीन रजिस्ट्री (घ)

134. **बहुमत द्वारा विनिश्चय.**--यदि प्राधिकरण के सदस्यों की राय किसी बिंदु पर भिन्न है, बिंदु बहुमत की राय अनुसार विनिश्चित होगा

135. **रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा अनुपालना.**--इन नियमों के अधीन प्राधिकरण द्वारा पारित किसी आदेश की अनुपालना तुरंत रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा की जाएगी, जिसके न होने पर, यथास्थिति एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम या केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम या संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम या अपनेअपने -

माल और सेवा कर अधिनियम् के अनुसार रकम वसूलने की कारवाई के राज्यराज्यों आरंभ की जाएगी ।

136आदेश की मानीटरी ..--प्राधिकरण, उसके द्वारा पारित आदेश के क्रियान्वयन को मानीटर करने के लिए किसी केन्द्रीय कर, राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर प्राधिकरण की अपेक्षा कर सकता है ।

137. **प्राधिकरण की अवधि.**--परिषद्, उस तारीख से जब से अध्यक्ष ने कार्यभार संभाला था, से दो वर्ष के पश्चात् अस्तित्वहीन हो जाएगी, जब तक कि परिषद् अन्यथा सिफारिश न करे ।

स्पष्टीकरण: इस अध्याय के प्रयोजन के लिए,

(क) "प्राधिकरण" से नियम 122 के अधीन गठित राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(ख) "समिति" से नियम 123 के उपनियम (1) के निबंधनों में परिषद् द्वारा गठित मुनाफाखोरी रोधी स्थायी समिति अभिप्रेत है;

(ग) "हितबद्ध पक्षकार" जिसके अंतर्गत—

क. कार्यवाहियों के अधीन माल और सेवाओं के प्रदायकर्ता ; और

ख. कार्यवाहियों के अधीन माल और सेवाओं के प्राप्तिकर्ता ;

(घ) "छानबीन समिति" से नियम 123 के उपनियम (2) के निबंधनों में गठित राज्य स्तरीय छानबीन समिति अभिप्रेत है ।

अध्याय 16
ईवे नियम-

सरकार, ऐसे समय तक जब तक कि ईवे बिल प्रणाली परिषद् द्वारा वि-कसित और अनुमोदित नहीं की जाती है, अधिसूचना द्वारा उन दस्तावेजों को विनिर्दिष्ट कर सकेगी जिन्हे उस व्यक्ति द्वारा जो प्रवहण जिसमें माल का परेषण किया जा रहा है, संचलन या अभिवहन भंडारण में माल ले जाने के दौरान अपने पास रखेगा ।

प्ररूप जीएसटी आईटीसी – 1

[**नियम** 40(1) **देखें**]

धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन इनपुट कर प्रत्यय के दावे की घोषणा

निम्नलिखित के अधीन दावा	
धारा 18 (1)(क)	☐
धारा 18 (1)(ख)	☐
धारा 18 (1)(ग)	☐
धारा 18 (1)(घ)	☐

1.	जीएसटीआईएन	
2.	विधिक नाम	
3.	व्यापार का नाम, यदि कोई हों	
4.	तारीख जिससे धारा 9(3) और धारा 9(4) को छोड़कर धारा 9 के अधीन कर के संदाय का दायित्व उद्भूत होता है [धारा 18(1)(क) और धारा 18(1)(ग) के अधीन दावे के लिए]	
5.	ऐच्छिक रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने की तारीख [धारा 18 (1)(ख) के अधीन किए गए दावे के लिए]	
6.	तारीख जिसके माल और सेवाएं कराधेय हुई हैं [धारा 18 (1)(घ) के अधीन किए गए दावे के लिए]	

7. धारा 18 (1) (क) या धारा 18 (1) (ख) के अधीन दावा

ऐसे इनपुट के स्टाक और ऐसे अर्धपरिरूपित माल या परिरूपितमाल में, जिस पर इनपुट टैक्स प्रत्यय का दावा किया गया है, अंतर्विष्ट इनपुट के ब्यौरे

क्रम सं.	प्रदायकर्ता का जीएसटीआईएन/ सीएक्स/ मूल्य वर्धित कर के अधीन रजिस्ट्रीकरण	बीजक *		स्टाक में धारित इनपुट, स्टाक में धारित अर्धपरिरूपित माल या परिरूपित माल में अंतर्विष्ट इनपुट का	इकाई परिमाण कोड (यूक्यूसी)	परिमाण	मूल्य** (नामे नोट/जमा खाता द्वारा समायोजित)	दावा किए गए इनपुट कर के प्रत्यय की रकम (रु.)				
		सं.	तारीख					केन्द्रीय कर	राज्य कर	संघ राज्यक्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर

				विवरण								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7 (क) स्टाक में धारित इनपुट												
7 (ख) स्टाक में धारित अर्धपरिरूपित माल या परिरूपित माल में अतंरविष्ट इनपुट												

***यदि बीजक की पहचान करना संभव नहीं है, पहले प्राप्त बीजक के सिद्धांत का अनुसरण किया जा सकेगा**

8. धारा 18 (1) (ग) या धारा 18 (1)(घ) के अधीन दावा

ऐसें इनपुट के स्टाक, ऐसे अर्धपरिरूपित माल या परिरूपितमाल और पूंजीमाल में, जिन पर इनपुट टैक्स प्रत्यय का दावा किया गया है, अंतर्विष्ट इनपुट के ब्यौरे

क्रम सं.	प्रदायकर्ता का जीएसटीआईएन/ सीएक्स/ मूल्य वर्धित कर के	बीजक */ प्रवेश पत्र		स्टाक में धारित इनपुट, स्टाक में धारित अर्धपरिरूपित माल या परिरूपित	इकाई परिमाण कोड (यूक्यूसी)	परिमाण	मूल्य (नामे नोट/जमा खाता द्वारा समायोजित)	दावा किए गए इनपुट कर के प्रत्यय की रकम (रु.)				
		सं.	तारीख					केन्द्रीय कर	राज्य कर	संघ राज्यक्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर

	अधीन रजिस्ट्रीकरण			माल में अंतर्विष्ट इनपुट, पूंजी माल का विवरण								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8 (क) स्टाक में धारित इनपुट												
8 (ख)) स्टाक में धारित अर्धपरिरूपित माल या परिरूपित माल में अतंर्विष्ट इनपुट												
8 (ग) स्टाक में धारित पूंजी माल												

*यदि बीजक की पहचान करना संभव नहीं है, पहले प्राप्त बीजक के सिद्धांत का अनुसरण किया जा सकेगा

** पूंजी माल का मूल्य किसी वर्ष की प्रति तिमाही या बीजक की तारीख से उसके किसी भाग के पांच प्रतिशत को घटाकर बीजक मूल्य होगा ।

9. प्रमाणित करने वाले चार्टर्ड अकाउटेंट या लागत लेखापाल की विशिष्टियां [जहां लागू हों]

(क) प्रमाणपत्र जारी करने वाली फर्म का नाम

(ख) प्रमाणित करने वाले चार्टर्ड अकाउटेंट /लागत लेखापाल का नाम

(ग) सदस्यता संख्यांक

(घ) प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख

(ङ) संलग्नक (प्रमाणपत्र अपलोड करने का विकल्प)

10. सत्यापन

मैं ____________________ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं और यह घोषणा करता हूं कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में सत्य और सही है और इसमें कोई बात छिपाई नहीं गई है ।

प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर ____________________

नाम

____

पदनाम/प्रास्थिति ____________________

तारीख --- दिन/मास/वर्ष

प्ररूप जीएसटी आईटीसी -02

[नियम – 41(1) देखें]

धारा 18 की उपधारा (3) के अधीन किसी कारबार के विक्रय, विलयन, निर्वलयन, समामेलन, पट्टा या अंतरण की दशा में इनपुट कर प्रत्यय के अंतरण की घोषणा

1.	अंतरक का जीएसटीआईएन	
2.	अंतरक का विधिक नाम	
3.	व्यापार का नाम, यदि कोई हों	
4.	अंतरिती का जीएसटीआईएन	
5.	अंतरिती का विधिक नाम	
6.	व्यापार का नाम, यदि कोई हों	

7. अंतरित किए जाने वाले इनपुट कर प्रत्यय के ब्यौरे

कर	उपलब्ध सुमेलित इनपुट कर प्रत्यय की रकम	अंतरित की जाने वाली सुमेलित इनपुट कर प्रत्यय की रकम

1	2	3
केन्द्रीय कर		
राज्य कर		
संघ राज्यक्षेत्र कर		
एकीकृत कर		
उपकर		

8. प्रमाणित करने वाले चार्टर्ड अकाउटेंट या लागत लेखापाल की विशिष्टियां

(क) प्रमाणपत्र जारी करने वाली फर्म का नाम

(ख) प्रमाणित करने वाले चार्टर्ड अकाउटेंट /लागत लेखापाल का नाम

(ग) सदस्यता संख्यांक

(घ) अंतरक को प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख

(ङ) संलग्नक (प्रमाणपत्र अपलोड करने का विकल्प)

9. सत्यापन

मैं ____________________ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं और यह घोषणा करता हूं कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में सत्य और सही है और इसमें कोई बात छिपाई नहीं गई है ।

प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर ____________________

नाम

____

पदनाम/प्रास्थिति ____________________

तारीख --- दिन/मास/वर्ष

प्ररूप जीएसटी आईटीसी -03

[नियम – 44(4) देखें]

धारा 18 की उपधारा (4) के अधीन विपर्यन इनपुट कर प्रत्यय की सूचना /स्टाक में धारित इनपुट, स्टाक में धारित अर्धपरिरूपित और परिरूपित माल में अंतर्विष्ट इनपुट पर कर के संदाय की घोषणा

1. जीएसटीआईएन		
2. विधिक नाम		
3. व्यापार का नाम, यदि कोई हों		
4(क). संरचना स्कीम के विकल्प के लिए फाइल किए गए आवेदन के ब्यौरे [केवल धारा 18 (4) के लिए लागू]	(i) आवेदन संदर्भ संख्या (एआरएन)	
	(ii) फाइल करने की तारीख	
4(ख). तारीख जिससे छूट प्रभावी होगी [केवल धारा 18 (4) के लिए लागू]		

5. स्टाक में धारित इनपुट, स्टाक में धारित अर्धपरिरूपित और परिरूपित माल में अंतर्विष्ट इनपुट और पूंजी माल के स्टाक के ब्यौरे जिन पर धारा 18(4) के अधीन इनपुट कर प्रत्यय का संदाय किया जाना अपेक्षित है

क्रम सं.	प्रदायकर्ता का	*बीजक प्रवेश पत्र	स्टाक में धारित इनपुट, स्टाक में	इकाई परिमाण	परिमाण	मूल्य** (नामे नोट/	दावा किए गए इनपुट कर प्रत्यय की रकम (रु.)

	जीएसटी आईएन/ सीएक्स/ मूल्य वर्धित कर के अधीन रजिस्ट्रीकरण	सं.	तारीख	धारित अर्धपरिरूपित माल या परिरूपित माल में अंतर्विष्ट इनपुट और पूंजी माल का विवरण	कोड (यूक्यूसी)		जमा खाता द्वारा समायोजित)	केन्द्रीय कर	राज्य कर	संघ राज्यक्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8 (क) स्टाक में धारित इनपुट (जहां बीजक उपलब्ध है)												
8 (ख) स्टाक में धारित अर्धपरिरूपित माल या परिरूपित माल में अंतर्विष्ट इनपुट (जहां बीजक उपलब्ध है)												
8 (ग) स्टाक में धारित पूंजी माल (जहां बीजक उपलब्ध है)												
8 (घ) स्टाक में धारित और स्टाक में धारित अर्धपरिरूपित/परिरूपित माल में यथाअंतर्विष्ट इनपुट (जहां बीजक उपलब्ध नहीं है)												
8 (ङ) स्टाक में धारित पूंजी माल) (जहां बीजक उपलब्ध नहीं है)												

***(1)यदि बीजक की पहचान करना संभव नहीं है, पहले प्राप्त बीजक के सिद्धांत का अनुसरण किया जा सकेगा**

(2) यदि कतिपय इनपुट के लिए बीजक उपलब्ध नहीं है तो मूल्य का प्राक्कलन अधिभावी बाजार कीमत के आधार पर किया जाएगा ।

**पूंजी माल का मूल्य किसी वर्ष की प्रति तिमाही या बीजक की तारीख से उसके किसी भाग के पांच प्रतिशत को घटाकर बीजक मूल्य होगा ।

6. संदेय और संदत्त इनपुट कर प्रत्यय की रकम (सारणी 5 के आधार पर)

क्रम सं.	विवरण	संदेय कर	नकद / जमा खाता द्वारा संदाय	विकलन प्रविष्टि सं.	संदत्त इनपुट कर प्रत्यय की रकम				
					केन्द्रीय कर	राज्य कर	संघ राज्यक्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	केन्द्रीय कर		नकद खाता						
			जमा खाता						
2.	राज्य कर		नकद खाता						
			जमा खाता						
3.	संघ राज्यक्षेत्र कर		नकद खाता						
			जमा खाता						
4.	एकीकृत कर		नकद खाता						
			जमा खाता						
5.	उपकर		नकद खाता						
			जमा खाता						

7. सत्यापन

मैं ______________________________ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं और यह घोषणा करता हूं कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में सत्य और सही है और इसमें कोई बात छिपाई नहीं गई है ।

प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर ______________________________

नाम

____

पदनाम/प्रास्थिति ______________________________

तारीख --- दिन/मास/वर्ष